GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांकः वाणिज्य/2022-23/2876-3250

दिनांक 21.10.2022

1. खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
.... (समस्त)

2. उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
जिला...................... (समस्त)

3. क्षेत्रीय अधिकारी,
राजफैड,
.... (समस्त)

4. मुख्य व्यवस्थापक,
क्रय-विक्रय सहकारी समिति,
....

विषय :- समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत खरीफ फसल 2022-23 मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली खरीद बाबत।

प्रसंग :- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक F-L-15016/78/2022/MPS (FTS-117931) दिनांक 10.10.2022 एवं F-L-15016/77/2022/MPS (FTS-117850) दिनांक 10.10.2022

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रासंगिक पत्र F-L-15016/78/2022/MPS (FTS-117931) दिनांक 10.10.2022 एवं F-L-15016/77/2022/MPS (FTS-117850) दिनांक 10.10.2022 के द्वारा खरीफ फसल 2022 में क्रमशः कृषि जिन्स मूंग-उड़द एवं मूंगफली-सोयाबीन क्रय हेतु लक्ष्य आवंटित किये गये है। आवंटित लक्ष्य अनुरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत उक्त कृषि जिन्स की खरीद स्थापित क्रय केन्द्रों पर की जावेगी। अतः खरीद कार्यक्रम का संचालन सुगमता व सरलता एवं कृषक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निम्न व्यवस्थाऐं किये जाने की सुनिश्चिता करें :-

1. पंजीयन प्रारम्भ तिथि

- कृषि जिन्स विक्रय हेतु कृषकों का पंजीयन **दिनांक 27.10.2022** से प्रारम्भ किया जावेगा।
- पंजीयन प्रातः 9 बजे से सांय 7 बजे तक करवाया जा सकेगा।

2. खरीद लक्ष्य व अवधि

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त स्वीकृति पत्र अनुसार कृषि जिन्स क्रय लक्ष्य व खरीद अवधि निम्नानुसार होगी :-

क्र.सं.	कृषि जिन्स	आवंटित लक्ष्य (मै.टन)	खरीद प्रारम्भ तिथि	खरीद अवधि
1.	मूंग	3,02,745	**1 नवम्बर 2022 से**	**खरीद प्रारम्भ तिथि से 90 दिवस तक**
2.	उड़द	62,508		
3.	सोयाबीन	3,61,790		
4.	मूंगफली	4,65,565	**18 नवम्बर 2022 से**	

*कृषि जिन्स मूंग, उड़द व सोयाबीन की खरीद 1 नवम्बर 2022 से प्रारम्भ कर 29 जनवरी 2023 तक एवं कृषि जिन्स मूंगफली की खरीद 18 नवम्बर 2022 से प्रारम्भ कर 15 फरवरी 2023 तक की जा सकेगी।

Scanned with CamScanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

3. समर्थन मूल्य

भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य का विवरण कृषि जिन्सवार निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	जिन्स	समर्थन मूल्य (रू. प्रति क्विंटल)
1	मूंग	7755
2	उड़द	6600
3	सोयाबीन (पीली)	4300
4	मूंगफली	5850

4. पंजीयन व्यवस्था

(i) मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली विक्रय हेतु कृषकों का पंजीयन दिनांक 27.10.2022 से प्रारम्भ होगा एवं पंजीयन प्रातः 9 बजे से सांय 7 बजे तक करवाया जा सकेगा।

(ii) पंजीयन व पंजीयन शुल्क

- कृषि जिन्स विक्रय के इच्छुक कृषक संबंधित क्रय केन्द्र अथवा ई-मित्र पर पंजीकरण करवा सकेगें।
- डीओआईटी द्वारा निर्धारित पंजीयन शुल्क रूपये 31/- कृषक द्वारा देय होगा।
- निर्धारित दर में संशोधन होने पर तदानुरूप पंजीकरण शुल्क देय होगा।

(iii) पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज

पंजीयन हेतु कृषक को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें :-

अ. जन-आधार कार्ड

- एक जन-आधार कार्ड पर एक ही कृषक का पंजीयन हो सकेगा।
- जन-आधार कार्ड में अंकित नामों में से जिस नाम से गिरदावरी होगी, उसी नाम का पंजीयन हो सकेगा।
- जन-आधार कार्ड महिला मुखिया एवं गिरदावरी पति के नाम होने की स्थिति में पंजीयन स्वीकार किया जा सकेगा।

ब. गिरदावरी

- जिस नाम से गिरदावरी होगी उसी नाम से पंजीयन हो सकेगा।
- मूल गिरदावरी में परिवर्तन/संशोधन सक्षम स्तर से अनुमोदन पर ही मान्य हो सकेगा।
- गिरदावरी में स्पष्टता की दृष्टि से जिला कलक्टर द्वारा राजस्व अधिकारियों को निम्नांकित विन्दुओं पर विशेष रूप से ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया जाना अपेक्षित है:-

a. गिरदावरी में रकबा हैक्टेयर में (अंको एवं शब्दों में) अंकित करना आवश्यक होगा।
b. गिरदावरी का पी- 35 का क्रमांक एवं दिनांक अंकित करना अनिवार्य होगा।
c. **फसल का रकबा हैक्टेयर में अंकित करना अनिवार्य होगा। बीघा में अंकन होने पर सॉफ्टवेयर द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।**
d. **पंजीयन हेतु इच्छुक कृषक के हिस्से, बोई गई फसल का नाम व रकबा का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।**
e. गिरदावरी पर पटवारी की मोहर एवं मोबाईल नम्बर भी आवश्यक रूप से अंकित किये जावें।
f. जमाबन्दी के आधार पर पंजीयन स्वीकार्य नही होगें।

Scanned with CamScanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

इ. ऑनलाइन गिरदावरियों स्वीकार की जा सकेगी लेकिन ऑनलाइन गिरदावरी प्रति पर भी पी 35 का क्रमांक एवं दिनांक अंकित करवाकर पंजीयन के दौरान अपलोड करवाना अनिवार्य होगा।

स. बैंक पास बुक

- विक्रय कृषि जिन्स राशि का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत जनआधार कार्ड में सीडेड बैंक खाते में किया जावेगा।
- कृषक पंजीयन से पूर्व जनआधार कार्ड में अपने बैंक खाते का नम्बर अद्यतन (अंकित करवाना) कराना सुनिश्चित करे।
- **खाता संख्या व आईएफएससी कोड में विसंगति होने पर कृषक स्वंय उत्तरदायी होगा।**
- **पंजीयन किये जाने से पूर्व ई–मित्र संचालक/क्रय केन्द्र प्रभारी जनआधार कार्ड में अंकित बैंक खाते का विवरण अद्यतन होने की सुनिश्चित करेगें।**

(iv). आधार आधारित बायोमेट्रिक अभिप्रमाण

- पंजीयन से पूर्व कृषक जन–आधार कार्ड में मोबाईल नम्बर लिंक कराना सुनिश्चित करे अन्यथा बायोमैट्रिक सत्यापन के अभाव में पंजीयन नहीं हो सकेगा।

5. बटाईदार

- बटाईदार भी पंजीयन करवाकर कृषि जिन्स विक्रय कर सकता है।
- कृषि भूमि मालिक व बटाईदार के मध्य बुआई से पूर्व या बुवाई अवधि (कृषि विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन) दिनांक 16.09.2022 (परिशिष्ट–1) के अनुसार मूंग, उड़द के लिये जून 2022 से जुलाई 2022 तथा मूंगफली एवं सोयाबीन के लिए मई 2022 से जुलाई 2022 नोटिफिकेशन दिनांक 16.09.2022 (परिशिष्ट–2) के अनुरूप ही अनुबंध मान्य होगा।
- पंजीयन के लिए भूमि मालिक की गिरदावरी तथा जन–आधार कार्ड एवं बटाईदार का जन–आधार कार्ड आवश्यक होगा।
- बुआई अवधि के बाद का अनुबंध पंजीयन हेतु स्वीकार्य नहीं होगा।
- कृषि भूमि मालिक एवं बटाईदार के मध्य एक कृषि जिन्स के लिए एक ही अनुबंध मान्य होगा।
- कृषि भूमि मालिक एवं बटाईदार के मध्य सम्पन्न अनुबंध रुपये 100 के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर ही मान्य होगा।
- **बटाई अनुबन्ध को पंजीयन के समय अपलोड कराना आवश्यक होगा अन्यथा पंजीयन नहीं हो सकेगा।**
- कृषि भूमि मालिक चाहे तो स्वयं के जन–आधार कार्ड अथवा बटाईदार की स्थिति में उसके नाम से पंजीयन करवा सकता है **अर्थात् एक जन–आधार कार्ड पर केवल एक ही पंजीयन हो सकेगा।**
- कृषि भूमि मालिक एवं बटाईदार के पृथक–पृथक पंजीयन स्वीकार नहीं होगें **अर्थात् कृषि भूमि मालिक किसान स्वयं अथवा बटाईदार दोनों में से कोई एक कृषि जिन्स विक्रय कर सकेगा।**

6. पंजीकरण सीमा

(अ) राज्य की पंजीयन सीमा

भारत सरकार से कृषि जिन्सवार प्राप्त लक्ष्यों के अनुसार प्रति किसान 25 क्विंटल उपार्जन सीमा अनुसार अधिकतम 100 प्रतिशत तक फसलवार पंजीयन किये जाने है। **प्रथमतः 90 प्रतिशत सीमा तक एवं शेष 10 प्रतिशत पंजीयन समीक्षा उपरांत किए जा सकेंगें।**

Scanned with CamScanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

(ब) जिले की पंजीयन सीमा

- कृषि विभाग से प्राप्त जिलेवार अनुमानित उत्पादन आँकड़ों के आधार पर जिले में उत्पादित कृषि जिन्स मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन के 25 प्रतिशत सीमा तक पंजीयन किये जा सकेगें।
- प्रारंभिक तौर पर प्रति कृषक अधिकतम 25 क्विंटल सीमा एवं जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य (अनुमानित उत्पादन का 25 प्रतिशत) में भाग देते हुए कृषकों की संख्या फलित की गयी है।
- प्रति कृषक कृषि जिन्स की औसतन मात्रा कम रहती है तो पंजीयन हेतु कृषकों की संख्या में संशोधन सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत किया जा सकेगा।

(स) क्रय केन्द्र की पंजीयन सीमा

- तहसील के अनुमानित उत्पादन आँकड़ों के आधार पर क्रय केन्द्रवार कृषकों की पंजीयन सीमा निर्धारित की जावेगी।
- अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित किये जाने की दृष्टि से पंजीयन व क्रय तिथि आवंटित की जावेगी।
- खरीद विभिन्न परिस्थितियों के शर्तायधीन रहेगी अर्थात् पंजीयन व तिथि आवंटन क्रय की गारंटी नहीं होगी।
- **आवंटित लक्ष्यों में वृद्धि या कमी होने पर कृषकों की पंजीयन सीमा परिवर्तनीय होगी।**
- **पंजीयन सीमा का निर्धारण निम्न सूत्र (formula) से किया जावेगा :–**

तहसील का उत्पादन क्विंटल में(जिन्स का नाम– मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन) जिन्स का जिलों से प्राप्त तहसीलवार उत्पादन का योग (जिले में जिन्स का कुल उत्पादन) (जिन्स का नाम – मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन)	X	जिले की जिन्स विशेष हेतु पंजीकरण सीमा

यदि किसी तहसील में जिन्स अनुसार एक से अधिक क्रय केन्द्र होगें तो तुलाई हेतु पंजीयन आवंटन हेतु निम्न विकल्प होगें :–

विकल्प 1. के.वी.एस.एस. एवं जी.एस.एस. (सहकार मित्र) पर पंजीयन संख्या का विभाजन 60:40 प्रतिशत के अनुपात में किया जावेगा।

विकल्प 2. एक ही एजेन्सी (समिति) के एक से अधिक खरीद केन्द्र होने पर पंजीयन का विभाजन उनकी तुलाई क्षमता (कांटो की संख्या) के आधार पर किया जा सकेगा।

खरीद केन्द्र पर कांटों की संख्या पंजीयन संख्या के आधार पर घटाई/बढाई जा सकती है। यदि एक स्थान पर 2 क्रय एजेन्सी कार्यरत है तो पंजीयन संख्या का विभाजन दोनों एजेन्सियों के मध्य 50:50 के अनुपात में होगा। क्रय–विक्रय सहकारी समिति से संबद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मध्य पंजीयन संख्या का विभाजन 60:40 के अनुपात में होगा।

7. क्रय केन्द्र

- **स्थापित क्रय केन्द्र पर कृषि जिन्स मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन विक्रय हेतु ही पंजीयन मान्य होगा।** अन्य जिन्स के लिए कृषक द्वारा कंराया गया पंजीयन स्वीकार्य नही होगा।
- **कृषक की कृषि भूमि जिस तहसील में अवस्थित है उसी तहसील के कार्य क्षेत्र में आने वाले क्रय केन्द्र का चयन फसल विक्रय हेतु किया जा सकेगा।**
- खरीफ 2022–23 में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन के केन्द्रों की सूची दिनांक 13.10.2022 से जारी की गयी है।
- **क्रय केन्द्र स्थानान्तरण अनुरोध स्वीकार नहीं किया जावेगा।**
- **गलत तहसील दर्ज कर करवाये गये पंजीयन के आधार पर कृषि जिन्स क्रय नहीं की जावेगी।**

Scanned with CamScanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

- मूंग–उड़द एवं सोयाबीन–मूंगफली हेतु पंजीयन पृथक–पृथक किये जावेगें अर्थात् दलहन तथा तिलहन हेतु पंजीयन पृथक–पृथक होगें।

8. मोबाईल नम्बर

- एक मोबाईल नम्बर से केवल एक ही पंजीयन दर्ज हो सकेगा अर्थात प्रत्येक पंजीयन के लिए पृथक–पृथक मोबाईल नम्बर दर्ज करने होगें जिससे कृषि जिन्स मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन का पंजीयन किया जा सकेगा।

9. अन्य

- पंजीयन के वक्त सम्बन्धित कृषि जिन्स गिरदावरी जुडवाने की दिनांक के आधार पर कृषक की कृषि जिन्स तुलाई वरीयता क्रम निर्धारित होगा।
- तुलाई दिनांक एवं खरीद मात्रा से पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. के माध्यम से कृषक को सूचित किया जायेगा।
- कृषक किसी कारणवश निर्धारित दिनांक को कृषि जिन्स का विक्रय नहीं कर पाता है, **तो आगामी 10 दिवस की अवधि में कृषि जिन्स की तुलवाई करवा सकेगा।**
- **तुलाई पश्चात् कृषक का बिल आधार आधारित अभिप्रमाणन के पश्चात् सर्जित किया जावेगा व एक प्रति कृषक को दी जावेगी।**
- कृषि जिन्स विक्रय के पश्चात कृषक के जन–आधार कार्ड में अंकित बैंक खाते में राशि क्रय केन्द्र प्रभारी की अनुशंषा एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड़ द्वारा अनुमोदन उपरान्त राजफैड़ मुख्यालय स्तर से निर्दिष्ट बैक द्वारा हस्तान्तरित की जावेगी।

10. ऑनलाईन पंजीयन–समस्या व निराकरण

विगत अनुभव के आधार पर ऑनलाईन पंजीयन में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं का निराकरण निम्नानुसार किया जा सकेगा :–

क्र.सं.	ऑनलाईन पंजीकरण में समस्या	निराकरण
1.	जन–आधार कार्ड महिला मुखिया के नाम होने तथा कृषि भूमि पति/पत्नी के नाम होने के कारण पंजीकृत किसान की कृषि जिन्स खरीद करने बावत।	जन–आधार कार्ड के आधार पर एक पंजीयन की शर्त यथावत रहेगी। जन–आधार कार्ड महिला मुखिया के नाम होने के कारण एवं गिरदावरी पति के नाम होने की स्थिति में ऐसा एक पंजीयन स्वीकार किया जा सकता है।
2.	कृषक को तुलाई दिनांक आवंटन के पश्चात 10 दिवस में जिन्स तुलाई नहीं होने की स्थिति में तुलाई प्रकिया।	कृषक को दिनांक आवंटन होने के बाद खरीद केन्द्र पर बारदाने के अभाव में, क्रय की गई कृषि जिन्स का उठाव नहीं होने या अन्य वाजिब कारण से यदि तुलाई नहीं हुई है तो ऐसे कृषक तुलवाई हेतु प्रार्थना पत्र केन्द्र प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा एवं केन्द्र प्रभारी संवंधित क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड़ को प्रेषित करेगा। क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड़ अपनी अभिशंषा सहित मुख्यालय को प्रार्थना पत्र प्रेषित करेगें। मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्त होने पर जिन्स की तुलाई हो सकेगी।

Scanned with CamScanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740676
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

3.	गिरदावरी मे अंकित नाम का मिलान जन-आधार कार्ड में अंकित परिवार के सदस्यों के नाम से मिलान नहीं नहीं होने की स्थिति में।	गिरदावरी में अंकित नाम का मिलान जन-आधार कार्ड में अंकित परिवार के सदस्यों के नाम से मिलान नहीं होता है तो ऐसे पंजीयन खरीद हेतु स्वीकार नहीं किये जावेंगें।
4.	ओटीपी आधार आधारित बायोमैट्रिक प्रमाणन असफल होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।	पंजीकरण के समय यह सुविधा ऐसे कृषक जिनके दोनों हाथ नहीं है अथवा फिंगर प्रिन्ट घिस गये है, हेतु ही मान्य होगी। पूर्व में ऐसे प्रकरणों में ओटीपी आधार आधारित बायोमैट्रिक प्रमाणन असफल होने की स्थिति में "invalid match" कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देती थी लेकिन वर्तमान में आधार से प्राप्त नई सर्विस में ऐसा प्रावधान नहीं है अर्थात् बायोमैट्रिक फेल होने पर "invalid match" का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तीन बार फेल होने पर ऑटोमेटिक "eye scanner/ biometric/OTP option" स्वतः दिखने लगेगा। अतः ओटीपी विकल्प का चयन वास्तविक पात्र किसानों के लिए ही किया जाना है। किसी भी कृषक के अंगूठे बायोमैट्रिक प्रमाणन योग्य होने के उपरांत भी यदि उक्त किसान का पंजीयन ओटीपी आधार पर किया जाता है तो ऐसे पंजीयन स्वीकार्य नहीं होगें। संबंधित ई मित्र द्वारा सर्वप्रथम बायोमैट्रिक आधार आधारित अभिप्रमाणन हेतु प्रयास किया जावेगा। डीओआईटी के माध्यम से प्राप्त आधार आधारित बायोमैट्रिक अभिप्रमाणन असफल होने की स्थिति में ही ई-मित्र द्वारा ओटीपी ऑप्शन को उपयोग में लिया जाना है। ओटीपी ऑप्शन काम में लेने पर डेटाबेस में किसान का जन-आधार कार्ड आई.डी. नम्बर तथा प्रविष्टि करने वाले यूजर का रिकॉर्ड स्वतः ही सेव (save) हो जायेगा। ओटीपी का एसएमएस किसान के आधार में पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर ही जाएगा। ओटीपी डालने पर ही पंजीकरण हो सकेगा। 1. ऐसे कृषकों के संबंध में ई-मित्र द्वारा कृषक की पहचान सुनिश्चित की जावेगी एवं फोटो केप्चर कर रिकॉर्ड में रखी जावे। 2. हाथ के अंगूठे/दिव्यांग होने की स्थिति में दिव्यांगता को प्रदर्शित करने वाला फोटो ही केप्चर कर रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी जावे। 3. ऐसे कृषक के खरीद के समय केन्द्र पर पहुँचने पर उपरोक्तानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर सम्बन्धित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखते हुए खरीद सुनिश्चित की जावे। ऐसे पंजीयन एवं खरीद सम्बन्धी समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित व्यवस्थापक/केन्द्र प्रभारी का होगा। 4. खरीद के समय केन्द्र के मुख्य व्यवस्थापक ऐसे कृषक जिनके हाथ के अंगूठे दिव्यांग होने की स्थिति में या हाथ के अंगूठे घिसे होने की स्थिति में किसान का फोटो बायोमैट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाते हुए राजफैड़ आई.टी. शाखा की

Scanned with CamScanner

		ई-मेल आई.डी. **rajfed.opr@yahoo.com** पर अपने हस्ताक्षर एवं मोहर सहित ई-मेल द्वारा भिजवाएगें। तत्पश्चात् सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरांत ओटीपी जारी किया जाएगा।
5.	भूमि विवरण जीरो दर्ज होने पर आवश्यक दुरूस्तीकरण।	ऑनलाइन प्रविष्टियों में यदि भूमि विवरण जीरो दर्ज हो गया है तो संबंधित केन्द्र के मुख्य व्यवस्थापक/क्रय केन्द्र प्रभारी कृषक से खरीद के समय मूल गिरदावरी से मिलान कर आवश्यक संशोधन कर सकेगा। संबधित समस्त रिकॉर्ड समिति कार्यालय में सुरक्षित रखा जावे तथा ऐसे दुरूस्तीकरण के लिए संबधित केन्द्र प्रभारी स्वंय जिम्मेदार होगें। **उक्त परिस्थिति में कृषक का पंजीयन संशोधन दिनांक से मान्य होगा एवं उक्त तिथि की वरीयतानुसार सॉफ्टवेयर से स्वतः दिनांक आवंटित होगी।**
6.	पी 35 दिनांक – क्रमांक एवं राजस्व ग्राम अपडेट करना।	ऑनलाइन पंजीयन के समय यदि पी 35 क्रमांक, दिनाक एवं राजस्व ग्राम गलत प्रिंट हो गया है तो संबंधित क्रय केन्द्र के मुख्य व्यवस्थापक स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी. से मूल गिरदावरी में अंकित पी 35 क्रमांक, दिनांक एवं राजस्व ग्राम का पंजीकरण में संशोधन कर सकेगा।

11. <u>ई-मित्र के दायित्व</u>

- पंजीयन से संबंधित नियमों व प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन विक्रय हेतु कृषकों का पंजीयन करना।
- गिरदावरी में फसल रकबा हैक्टेयर में व बुवाई क्षेत्रफल का विवरण अंकों व शब्दों में अंकित करना।
- कृषक के हिस्से व बोई गयी फसल का स्पष्ट उल्लेख करना।
- गिरदावरी पर पटवारी की मोहर व मोबईल नम्बर का अंकन होना सुनिश्चत करना।
- ऑनलाईन गिरदावरी पर पी 35 का क्रमांक व दिनांक अंकित होना सुनिश्चित करते हुए अपलोड करना।
- आधार कार्ड मोबाईल नम्बर से लिंक होना सुनिश्चित करना।
- जन-आधार कार्ड में अंकित बैंक खाता विवरण सही एवं सीडेड होने की सुनिश्चितता करना।
- पंजीयन प्रपत्र में गिरदावरी का पी 35 क्रमांक व दिनांक का अंकन सुनिश्चित करना।
- बटाईदार की स्थिति में कृषि भूमि मालिक एवं बटाईदार के मध्य कृषि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित अवधि में रुपये 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अंकित अनुबंध पत्र ही पंजीयन हेतु स्वीकार करना।
- भूमि मालिक की गिरदावरी व जन-आधार कार्ड एवं बटाईदार का जन-आधार कार्ड प्राप्त कर अपलोड करना।
- बुवाई अवधि के बाद भूमि मालिक व बटाईदार के मध्य सम्पन्न अनुबंध पत्र स्वीकार नहीं करना।
- भूमि मालिक व बटाईदार के मध्य जिन्स विशेष के लिए एक ही अनुबंध स्वीकार करना।
- अनुबंध पत्र को गिरदावरी के साथ अपलोड करना।
- ओटीपी विकल्प का उपयोग वास्तविक प्रकरणों में ही करना।
- तहसील विशेष में अवस्थित भूमि धारक कृषक का पंजीयन उसी तहसील में करना।

Scanned with CamScanner

12. ई–मित्र के विरूद्ध कार्यवाही

पंजीयन कार्य में उदासीनता व लापरवाही बरतने व अनियमितता परिलक्षित होने पर ई–मित्र केन्द्र संचालक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

13. बायोमैट्रिक मशीन

- समस्त क्रय केन्द्रों पर बायोमैट्रिक डिवाईस उपलब्ध एवं एक्टिवेशन होने की सुनिश्चितता केन्द्र प्रभारी द्वारा की जावेगी।
- क्रय केन्द्र पर फसल बेचान हेतु आने वाले कृषक से आधार आधारित अभिप्रमाणन के पश्चात ही जिन्स की खरीद की जावेगी।
- कृषक का फोटो केप्चर किया जायेगा व केप्चर पर होने वाला व्यय संबंधित समिति द्वारा वहन किया जावेगा।

- कृषि जिन्स विक्रय करने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर कृषक हेल्पलाईन नम्बर 18001806001 पर एवं संबंधित क्रय–विक्रय सहकारी समिति व क्षेत्रीय कार्यालय, राजफैड में शिकायत दर्ज करा सकेंगें।

14. तुलाई हेतु मैसेज

- तुलाई हेतु कृषक को संदेश भेजे जाने की संख्या का निर्धारण निम्नानुसार किया जाकर सिस्टम द्वारा जिन्सवार स्वतः वरीयता क्रम में संदेश जारी किये जावेगे :–

$$\frac{\text{खरीद केन्द्र पर कुल पंजीकरण संख्या}}{\text{तुलाई हेतु कुल कार्यदिवसों की संख्या}}$$

- विशेष परिस्थितियों में समिति के अनुरोध व परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त फॉर्मूले के आधार पर प्रतिदिन निर्धारित किये जाने वाले संदेशों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकेगा।
- संदेशों की संख्या में परिवर्तन पश्चात् आगामी कार्य दिवसों में संदेशों की संख्या उक्तानुसार समायोजित कर स्वतः संदेश प्रेषण किये जा सकेगें।
- तुलाई हेतु आवश्यक व्यवस्थाऐं यथा कांटे–बांट, लेबर, बारदाना इत्यादि की उपलब्धता की सुनिश्चितता केन्द्र प्रभारी द्वारा की जावेगी।

15. क्रय प्रक्रिया

15.1 कृषि जिन्स विक्रय हेतु आने वाले कृषक से निम्न दस्तावेज प्राप्त किये जाने अनिवार्य होगें :–

(I) जनआधार कार्ड
(II) आधार कार्ड
(III) गिरदावरी की मूल नकल
(IV) बैंक पास बुक की प्रति
(V) बटाईदार की स्थिति में भूमि मालिक व बटाईदार के मध्य सम्पादित मूल अनुबंध

कृषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं भूमि रिकॉर्ड में किसी प्रकार की कांट–छांट (cutting & erasing), ओवरराईटिंग मान्य नहीं होगी एवं ऐसे किसान से खरीद नहीं की जावेगी।

Scanned with CamScanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX : 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

2. केन्द्र पर जिन्स विक्रय करने वाले कृषक का बायोमैट्रिक सत्यापन कराया जावे व फोटो कैप्चर किया जावें।
3. फोटो कैप्चर पश्चात् प्रस्तुत दस्तावेजों का अपलोड किये गये रिकॉर्ड से मिलान करना। मिलान व दस्तावेजों की जाँच किये जाने का दायित्व केन्द्र प्रभारी का होगा।
4. भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डानुरूप विक्रय हेतु कृषि जिन्स लाने का उत्तरदायित्व कृषक का होगा।
5. कृषि जिन्स भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार Fair Average Quality (FAQ) का कृषि जिन्स ही क्रय किया जावे।
6. कृषि जिन्स का नमूना लिया जावें एवं नमूना निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप पाये जाने पर तुलाई की जावें।
7. निर्धारित मापदण्डानुरूप जिन्स नहीं होने पर अस्वीकृत (Reject) किया जावें एवं कृषक को अस्वीकृत किये जाने के कारण से अवगत कराया जावें।
8. अस्वीकृत कृषि जिन्स का लिया गया नमूना सुरक्षित रखा जावें एवं इस क्रम में संधारित रजिस्टर में इन्द्राज किया जावें।
9. कृषक द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी में अंकित बोये गये कृषि जिन्स के क्षेत्रफल एवं जिले की उत्पादकता के दृष्टिगत ही जिन्स क्रय की जावें।
10. निर्धारित मात्रा से अधिक जिन्स की खरीद किये जाने पर केन्द्र प्रभारी अधिक खरीद के लिए उत्तरदायी होगा।
11. कृषि जिन्स तुलाई हेतु कांटे तक लाने का दायित्व कृषक का होगा एवं इस पर होने वाला व्यय कृषक द्वारा वहन किया जावेगा।
12. कृषि जिन्स तुलाई पश्चात् ऑनलाईन विक्रय पर्ची बेचान दिवस को ही जारी की जानी अनिवार्य होगी।
13. ऑनलाईन विक्रय पर्ची के अभाव में खरीद का ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकेगा।
14. क्रय की गई कृषि जिन्स का ऑनलाईन बिल जारी करने का उत्तरदायित्व केन्द्र प्रभारी का होगा।
15. कृषि जिन्स खरीद का विवरण पोर्टल पर दर्ज करें एवं खरीद से सम्बंधित समस्त रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जावें।

15.2 खरीद मात्रा

- खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन की खरीद कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त उत्पादन आंकड़ों के आधार पर की जावेंगी।
- राजफैड़ के पत्र दिनांक 13.09.2022 के जरिये कृषि, आयुक्तालय से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ6(III) आ.कृ. दलहन-तिलहन/2022/10036-37 दिनांक 07.09.2022 पूर्व में प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र की प्रति पुनः सुलभ संदर्भ हेतु **परिशिष्ट-3 से 8** पर संलग्न है।

जिले की औसत उत्पादकता एवं मूल गिरदावरी में दर्शित कृषि जिन्स के क्षेत्रफल के आधार पर कृषक से खरीद किये जाने का दायित्व समिति का होगा।

15.3 मंदिर कृषि भूमि एवं सिसीवरी भूमि पर उत्पादित दलहन/तिलहन खरीद

मन्दिर माफी की भूमि एवं रिसीवरी भूमि पर काश्त करने वाले कृषकों से दलहन-तिलहन खरीद निम्न निर्देशानुसार क्रय की जावें :-

1. तहसीलदार द्वारा मन्दिर माफी व रिसीवरी भूमि पर काश्त के संबंध में जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित खसरें में उत्पादित कृषि जिन्स क्रय की जा सकेगी।

Scanned with CamScanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

2. रिसीवरी भूमि काश्त नीलामी के दृष्टिगत तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर सम्बंधित कृषक से कृषि जिन्स क्रय की जा सकेगी।

3. मन्दिर माफी/देव मूर्तियों की भूमियों के सबंध में काश्त करने वाले पुजारियों की समस्याओं के समाधान बाबत संयुक्त शासन सचिव राजस्व(ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज–6/2007 पार्ट/5 दिनांक 12.09.18 की प्रति **परिशिष्ट–9** पर संलग्न है।

15.4 बटाईदार कृषक से खरीद प्रक्रिया

- **भूमि मालिक या बटाईदार में से किसी एक से ही खरीद की जा सकेगी।**
- **बटाईदार से खरीद किये जाने पर केन्द्र प्रभारी द्वारा निम्न प्रपत्र में पंजिका का संधारण किया जावेगा :–**

भूमि मालिक				बटाईदार				
भूमि मालिक का नाम	जनः–आधार कार्ड नम्बर	मो.न.	भूमि का खाता सं.	बटाईदार का नाम	जन–आधार कार्ड का न.	मो.न.	भूमि का खाता सं.	जिन्स जिसके लिये अनुबन्ध किया गया है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- **भूमि मालिक व बटाईदार के मध्य सम्पन्न अनुबंध के सत्यापन करने का जिम्मा संयुक्त रूप से केन्द्र प्रभारी व समिति व्यवस्थापक का होगा।**
- **बटाईदार से संदर्भित संधारित सूचना रजिस्टर के साथ राजफैड द्वारा प्रेषित एक्सल शीट में भी सूचना संधारित करनी होगी।**
- **भूमि मालिक व बटाईदार के नाम से पंजीयन दोहराये जाने पर ऐसे प्रकरणों में खरीद नहीं की जावेगी।**

15.5 प्रति कृषक, प्रति दिवस खरीद की अधिकतम मात्रा

- **भारत सरकार के निर्देशानुसार एक दिन में एक किसान से अधिकतम 50 कट्टें (50 किलो भर्ती) जिन्सवार क्रय किये जा सकेंगे।**
- **एक किसान से एक दिन में अधिकतम 25 क्विन्टल कृषि जिन्स न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जिन्सवार क्रय किये जा सकेगे।**

16. गुणवत्ता मापदण्ड

- भारत सरकार द्वारा निर्धारित Fair Average Quality (FAQ) मापदंडानुरूप ही कृषि जिन्स क्रय किये जा सकेगें।
- Fair Average Quality (FAQ) **के कृषि जिन्स विक्रय हेतु लाये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कृषक का होगा।**

Scanned with CamScanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

- भारत सरकार द्वारा राज्य में Price Support Scheme के तहत क्रय की जाने वाली कृषि जिन्स की Fair Average Quality (FAQ) निम्नानुसार निर्धारित की गई है :-

(अ) मूंग व उड़द

Sr.No.	Special Characteristics	Maximum limits of tolerance (% by weight per qtl.) For FAQ.
1	Foreign Matter	2
2	Admixture	3
3	Damaged pulses	3
4	Slightly damaged pulses	4
5	Immature and shrivelled pulses	3
6	Weevilled pulses	4
7	Moisture	12

(ब) मूंगफली

Sr.No.	Special Characteristics	Maximum limits of tolerance (% by weight per qtl.) For	
		Bold FAQ	Ginny FAQ
1	Foreign Matter	2	2
2	Damaged Pods	2	2
3	Shrivelled & immature pods	4	4
4	Pods of other Varieties	4	4
5	Shelling (kernels/pods)	65 & above	70 & above
6	Moisture content	8	8

(स) सोयाबीन

Sr.No.	Special Characteristics	Maximum limits of tolerance (% by weight per qtl.) For
1	Foreign Matter & impurities	2
2	Shrivelled & immature beans & discoloured	5
3	Damaged & Weevilled beans	3
4	Mechanically damaged beans (Split, broken & crack)	15
5	Moisture content	12

नेफेड, जयपुर से गुणवत्ता के क्रम में प्राप्त पत्र क्रमांक 1053 दिनांक 08.09.2022 सुलभ संदर्भ हेतु **परिशिष्ट-10 से 14** पर संलग्न है।

Scanned with CamScanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

कृषि जिन्स गुणवत्ता मापदण्डों के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने पर निम्न कमेटी की बैठक आहूत कर विवाद का निस्तारण किया जावेगा :–

1. व्यवस्थापक क्रय–विक्रय सहकारी समिति या प्रभारी अधिकारी, क्रय केन्द्र – अध्यक्ष
2. हल्का निरीक्षक (सहकारिता) – सदस्य
3. कृषि उपज मंडी समिति सचिव या सचिव द्वारा नामित प्रतिनिधि – सदस्य
4. कृषि पर्यवेक्षक, कृषि विभाग – सदस्य

- गुणवत्ता के क्रम में निर्णय बहुमत से लिया जावेगा।
- मत बराबर होने पर अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
- कमेटी की कार्यवाही को लिपिबद्ध किया जावेगा व समिति रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा जावेगा।
- गुणवत्ता मापदंड के आधार पर कृषि जिन्स अस्वीकृत (Reject) किये जाने पर कृषक को कारण से अवगत कराया जावें।
- अस्वीकृत कृषि जिन्स का नमूना 500 ग्राम की मात्रा में लिया जावें एवं नमूने थैली में कृषक का नाम, क्रय रजिस्टर क्रमांक, दिनांक, ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक व दिनांक, नमी की मात्रा इत्यादि विवरण की पर्ची भी रखी जावें ।
- अस्वीकृत रसीद व संधारित पंजिका में कृषक के हस्ताक्षर करवाये जावें।
- अस्वीकृत कृषि जिन्स के रिकॉर्ड हेतु निम्न प्रपत्र में पंजिका संधारित की जावे :–

क्रय–विक्रय सहकारी समिति..............केन्द्र का नाम....................

क्र. सं.	नाम कृषि जिन्स	कृषक का नाम मय पिता व पता	पंजीकरण संख्या	पंजीकृत मोबाईल नम्बर	तुलाई हेतु आवंटित दिनांक	अस्वीकृत का आधार	किसान के हस्ताक्षर	केन्द्र प्रभारी हस्ताक्षर	अन्य उपस्थित के हस्ताक्षरत बतौर गवाह
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

17. बारदाना व्यवस्था

- बारदाना आपूर्ति राजफैड द्वारा की जावेगी। क्षेत्रीय कार्यालय समितियों से मांग प्राप्त कर मुख्यालय को प्रेषित करेगें।
- मुख्यालय द्वारा मांग के विरूद्ध की गई आपूर्ति का विवरण भी केन्द्रवार क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा संधारित किया जायेगा व विवरण पोर्टल पर भी दर्ज करे।
- बारदाना सुरक्षित रखने का दायित्व सम्बंधित समिति व केन्द्र प्रभारी का होगा।
- बारदाना निर्धारित विनिर्देश (Specification) अनुरूप ही प्रयुक्त किया जावें।
- समिति व्यवस्थापक या प्रभारी, क्रय केन्द्र द्वारा खराब बारदाने की फोटोग्राफ सहित अविलम्ब राजफैड़ मुख्यालय को लिखित में सूचित करें।
- राजफैड़ मुख्यालय को खराब बारदाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी अग्रिम कार्यवाही करेगें।

Scanned with CamScanner

- बारदाना निर्धारित विनिर्देश (Specification) अनुरूप नहीं होने, आकार में छोटा (Short Sized) आदि की सूचना प्राप्त होने पर क्षेत्रीय कार्यालय, राजफैड पंचनामा रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को प्रेषित करेगा।

- पंचनामा रिपोर्ट निम्न कमेटी द्वारा तैयार की जावेगी :–
  1. क्षेत्रीय अधिकारी या उसका नामित प्रतिनिधि
  2. व्यवस्थापक, क्रय–विक्रय सहकारी समिति
  3. क्रय केन्द्र प्रभारी
  4. मण्डी समिति का प्रतिनिधि
  5. केन्द्र पर पंजीकृत कृषकों मे से उपस्थिति दो कृषक

18. मार्का

बोरियों पर **गहरे हरा रंग** का मार्का निम्नानुसार लगाया जावे :–

1. नेफेड
2. केन्द्र का नाम ....
3. **कृषि जिन्स – मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन** खरीफ 2022–23
4. **वजन – मूंग/उड़द/सोयाबीन** 50 किलो एवं **मूंगफली** भर्ती 35 किलो नेट
5. क्रय रजिस्टर में अंकित क्रमांक.................... दिनांक..................
6. किसान का ऑनलाईन पंजीकरण क्रमांक............ दिनांक............

19. कृषि जिन्स की भराई व सिलाई

- जिन्स भर्ती के समय बारदाना मानक (Standard) का ध्यान रखा जावें व भर्ती सजगता व सावधानीपूर्वक की जावें।
- मूंग, उड़द व सोयाबीन की भर्ती 50 किलो जबकि मूंगफली की भर्ती 35 किलों की होगी।
- निर्धारित मात्रा में भर्ती वजन न होने पर नेफैड द्वारा कटौती की जाने पर होने वाली हानि को समिति को वहन करना होगा।
- वजन पूर्ती हेतु अतिरिक्त बारदाने में जिन्स भर्ती कर भण्डारगृह में जमा कराने पर नेफैड द्वारा कोई लाभ नही दिया जाता है, अतः निर्धारित मात्रा में ही कृषि जिन्स की भर्ती की जावें।
- अतिरिक्त बारदाना उपयोग में किये जाने पर बारदाना राशि समिति से वसूल की जा सकेगी।
- जिन्स भर्ती पश्चात् बोरियों की सिलाई मशीन से की जावें।
- भर्ती बोरियों की हाथ से की गई सिलाई नेफैड द्वारा अस्वीकार किये जाने पर व्यय राशि समिति को वहन करनी होगी।

Scanned with CamScanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

20. क्यू.आर. कोड प्रणाली

- नेफैड द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में क्यू.आर.कोड प्रणाली का क्रियान्वयन करना है।
- क्यू.आर.कोड़ की आपूर्ति नेफैड द्वारा की जावेगी।
- क्रय केन्द्रवार क्यू.आर.कोड की आवश्यकता से महाप्रबंधक (मा.स.वि.) को क्षेत्रीय अधिकारी सूचना संकलित कर अवगत करायेगे।
- क्यू.आर.कोड प्रणाली के क्रम में प्रशिक्षण पृथक से दिया जा चुका है।
- क्यू.आर. कोड प्रणाली प्रथम बार लागू की जा रही है व किसी तकनीकी कारण से होने वाले व्यवधान को दृष्टिगत रखते हुए मार्का व्यवस्था पूर्व की भाँति क्यू.आर. कोड के साथ-साथ समानान्तर रूप से जारी रहेगी।

21. तुलाई एवं छाया पानी व्यवस्था

- कृषि जिन्स की तुलाई इलेक्ट्रोनिक तुलाई मशीनों से की जावेगी।
- खरीद प्रारम्भ होने से पूर्व कांटे-बाट का प्रमाणीकरण करवाया जावें।
- इलेक्ट्रोनिक तुलाई मशीनों के संचालन हेतु विद्युत आपूर्ति के अभाव में वैकल्पिक व्यवस्था की जावें।
- **नमी माप हेतु मोईश्चर मीटर चालू हालत में रखा जावें तथा आवश्यकता होने पर समिति मोईश्चर मीटर क्रय कर सकती है।**
- छाया, पानी, तिरपाल, रस्सी, खूंटे इत्यादि की व्यवस्था खरीद केन्द्र पर रखी जावें।

22. क्रय कृषि जिन्स सुरक्षा व्यवस्था

- क्रय कृषि जिन्स सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा समिति का होगा।
- समिति द्वारा क्रय कृषि जिन्स की चोरी व स्टॉक कमी के रोकथाम के लिए कारगर कदम उठायेगी।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समिति द्वारा प्रतिदिन डे-क्लोज कर क्रय जिन्स की कुल मात्रा, भण्डारण मात्रा एवं पिड पर शेष रहे स्टॉक का पजेशन समिति के पास होने के कोलम पर पोर्टल में टिक करेगे।
- क्रय मात्रा, भण्डारण व भण्डारण से शेष रहे स्टॉक इत्यादि की रिपोर्ट प्रतिदिन उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ एवं क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेगे।
- समितिवार क्रय जिन्स की पुष्टि क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा साप्ताहिक (Weekly) करते हुए मुख्यालय को रिपोर्ट प्रेषित करेगें।
- स्टॉक का निरीक्षण व सत्यापन समय-समय पर क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ द्वारा किया जावेगा एवं किसी प्रकार की अनियमितता दृष्टिगोचर होने पर समिति को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करते हुए राजफैड मुख्यालय व सहकारी विभाग को अवगत करायेगें।
- मुख्यालय पर पदस्थापित अधिकारियों द्वारा भी क्रय केन्द्रों का आकस्मिक विजिट कर पर्यवेक्षण किया जावेगा।

Scanned with CamScanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

23. हैण्डलिंग व परिवहन व्यवस्था

- वर्ष 2022-23 में पूर्ण वर्ष के लिए समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की खरीद हेतु हैण्डलिंग व परिवहन के कार्य की दरों व प्रक्रिया के निर्धारण के क्रम में समय-समय पर राजफैड़ द्वारा पत्रांक ई.विड/लेखा/2022-23/5249-5308 दिनांक 28.02.2022 एवं पत्र क्रमांक 5309-5344 दिनांक 28.02.2022 से विस्तृत दिशा-निर्देश एवं संशोधन सूचना पत्र क्रमांक 5993-6052 दिनांक 15.03.2022 तथा पत्र क्रमांक 6308-6409 दिनांक 29.03.2022, पत्रांक 1115-1665 दिनांक 30.05.2022, पत्रांक 1532-34 दिनांक 17.06.2022, पत्रांक 1202-1255 दिनांक 13.07.2022, पत्रांक 1548-1630 दिनांक 04.08.2022, पत्रांक 2237-2272 दिनांक 15.09.2022 पृथक से जारी किये हुए है, जिनके अनुसार पालना सुनिश्चित की जावें। **(परिशिष्ट-15 से 23)**
- हैण्डलिंग व परिवहन व्यवस्था नेफैड द्वारा सदस्य समिति के लिए स्वीकृत/अनुमोदित दर पर ही करवायी जावे। किसी भी सदस्य समिति/संस्था द्वारा नेफेड से दर अनुमादित कराये बिना हैण्डलिंग एवं परिवहन का कार्य कराने जाने पर समस्त दायित्व संबंधित सदस्य समिति/संस्था का होगा।
- नेफैड से स्वीकृत दरों से अधिक दर पर हैण्डलिंग व परिवहन कार्य करवाये जाने पर अतिरिक्त व्यय राशि समिति को वहन करनी होगी।
- परिवहन हेतु नियुक्त संवेदक को जिन्स भण्डारण हेतु सम्भालाने पर प्राप्ति रसीद पोर्टल से ऑनलाईन सृजित की जावें व परिवहन सम्बधी रिकॉर्ड का संधारण किया जावें।
- हैण्डलिंग व परिवहन व्यवस्था के क्रम में किसी प्रकार की स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वित्त एवं लेखा अनुभाग राजफैड से दूरभाष संख्या-2740418 या ई-मेल **rajfed.fin_ac@yahoo.com.in** पर प्राप्त किया जा सकता है।

24. हैण्डलिंग एवं परिवंहन व्यय बिल प्रेषण एवं पुर्नभरण

- राजफैड़ व नेफैड द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं निर्धारित प्रारूप में हैण्डलिंग व परिवहन व्यय बिल/क्लेम्स सदस्य समितियों द्वारा नियमानुसार तैयार कर क्षेत्रीय कार्यालय, राजफैड को प्रेषित एवं उनकी एक प्रति राजफैड़ मुख्यालय में वाणिज्य शाखा को भी पृष्ठाकिंत किये जावें।
- सदस्य समिति द्वारा खरीद के दौरान प्रथम बिल के साथ निविदा कमेटी की दर स्वीकृत करने संबंधी अनुशंषा, कार्य आदेश एवं नेफैड द्वारा स्वीकृत दर की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न कर प्रेषित करें।
- क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर प्राप्त व्यय बिल प्रमाणक व सम्बंधित दस्तावेजों के आधार पर सूक्ष्म परीक्षण कर संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी की अनुशंषा सहित व्यय बिल तैयार कर मुख्यालय वाणिज्य शाखा को भिजवायें।
- खरीद अवधि में पीएम आशा गाईडलाईन व नेफेड से हुए अनुबंध के प्रकाश में अनुशांगिक व्यय बिल (हैण्डलिंग व परिवहन, मण्डी व्यय) पाक्षिक अन्तराल से नियमित भिजवाया जाना आवश्यक है।
- अनुशांगिक व्यय बिल प्राप्त होने पर ही नेफेड को प्रेषण कर राशि प्राप्त की जावेगी तथा नियुक्त संवेदक को तदानुसार भुगतान किया जा सकेगा।
- बिना समुचित बिलों के समितियों/संवदेक का हैण्डलिंग व परिवहन का भुगतान देय नहीं होगा।
- व्यय बिल प्राप्त होने पर ही नेफैड को पुनर्भरण हेतु प्रेषण कर राशि प्राप्त की जा सकती है तथा नियुक्त संवेदक को भी नियत समय पर भुगतान किया जा सकेगा।
- क्षेत्रीय अधिकारी व्यय बिल मुख्यालय वाणिज्य शाखा को प्रेषण करने से पूर्व संवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल हैण्डलिंग व परिवहन व्यय बिल की प्रमाणित प्रति संबंधित सदस्य समिति से प्राप्त कर संलग्न करें।

Scanned with CamScanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

- क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त बिल नेफेड को पुनर्भरण हेतु अधिकतम तीन (03) दिवस में वाणिज्य शाखा द्वारा प्रेषित किया जावेगा।
- क्रय–विक्रय सहकारी समिति से इस आशय का प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर संलग्न करें कि **"संवेदक द्वारा प्रस्तुत बिल में अंकित दर न्यूनतम व अंकित दूरी की जॉच कर ली गई है व जॉच उपरांत अंकित दर व दूरी सही पायी गई।"**
- खरीद सीजन समाप्ति पश्चात् खरीद, हैण्डलिंग व परिवहन एवं अन्य व्यय के समस्त शेष बिल/क्लेम्स 15 दिवस में मुख्यालय वाणिज्य शाखा को प्रेषित किया जाना आवश्यक है।
- समिति से वसूल योग्य राशि का समायोजन उन्हें देय राशि में से किया जा सकेगा।
- सदस्य समितियों व संवेदकों को हैण्डलिंग व परिवहन क्लेम्स का भुगतान राजफैड़ द्वारा जारी हैण्डलिंग व परिवहन के दिशा–निर्देश, निविदा शर्तों व प्रावधान के अनुसार नेफेड से पुनर्भरण प्राप्त होने पर तदानुसार ही किया जावेगा।
- **नियमानुसार ई–वे बिल जारी कराया जाना सुनिश्चित करें।**
- क्षेत्रीय कार्यालय व सदस्य समिति द्वारा खरीद सीजन समाप्ति के एक माह बाद विलम्ब से मुख्यालय वाणिज्य शाखा व नेफेड को प्रेषित किये जाने वाले हैण्डलिंग व परिवहन सहित समस्त क्लेम्स के प्रेषण में विलम्ब के अपवाद स्वरूप कारणों का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा।

25. भंडारण व्यवस्था

- क्रय कृषि जिन्स का भण्डारण नियमित व निरन्तर किया जावें।
- वेयर हाउस मूवमेन्ट प्लान अनुसार ही आवंटित भण्डारगृह में क्रय जिन्स का भण्डारण किया जावें।
- भण्डारण क्रय तिथि से 3 दिवस के अन्दर–अन्दर आंवटित भण्डारगृह में भण्डारितं करें।
- आवंटित भण्डारगृह से इतर भण्डारित किये जाने पर नेफैड द्वारा परिवहन व्यय राशि का पुनर्भरण नहीं करने की दशा में व्यय राशि समिति को वहन करनी पडेगी।
- क्रय कृषि जिन्स के भण्डारण हेतु परिवहन वाहन में लदान (Load) कर तिरपाल से ढक (Cover) कर सील किया जावें।
- परिवहन वाहन में लदान कार्य दिन में करवाया जावें व लदान के समय समिति द्वारा अधिकृत कार्मिक उपस्थित रहें।
- परिवहन वाहन में मानक भर्ती के कटटों का ही लदान किया जावें।
- परिवहन वाहन रवाना किये जाने से पूर्व भण्डारगृह में जमा होने की स्थिति की जानकारी भी प्राप्त करें।

26. भंडारण रसीदें

- कृषि जिन्स भण्डारण उपरान्त भण्डारगृह द्वारा जारी जमा रसीद Fair Average Quality (FAQ) की होनी आवश्यक है।
- जमा रसीद में विपरीत टिप्पणी (Remark) होने पर स्वीकार योग्य नहीं होगी।
- राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा जारी ई–डब्ल्यूआर राजफैड मुख्यालय को प्राप्त हो जाती है लेकिन मुद्रित प्रति (Hard Copy) समिति द्वारा राजफैड मुख्यालय को क्षेत्रीय अधिकारी के माध्यम से भिजवायी जावेगी।
- जमा रसीद भण्डारगृह से प्राप्त करने का दायित्व समिति का होगा।
- भण्डारण रसीद मूल कीमत में 10 प्रतिशत खर्चे जोडते हुए नेफैड द्वारा क्रय–विक्रय सहकारी समिति के नाम से प्राप्त की जावें।
- भण्डारगृह जमा रसीद में किसी प्रकार की कांट–छांट (Cutting-Erasing) स्वीकार्य नहीं होगी।

Scanned with CamScanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

- भण्डारगृह जमा रसीद में नमी मात्रा का स्पष्ट अंकन होना आवश्यक होगा।
- खरीद समाप्ति उपरान्त 20 दिवस में क्रय कृषि जिन्स की समस्त भण्डारण रसीदें विपरीत टिप्पणी रहित प्रस्तुत की जावें।

27. भण्डारगृह पर अस्वीकृत (Reject) कृषि जिन्स

- आवंटित भण्डारगृह में क्रय कृषि जिन्स भण्डारण हेतु समिति द्वारा परिवहन किये जाने व भण्डारगृह पर कृषि जिन्स अस्वीकृत किये जाने पर सम्बंधित भण्डारगृह प्रबंधक व नेफैड द्वारा नियुक्त सर्वेयर द्वारा कारण बताना आवश्यक होगा।
- भण्डारण से अस्वीकृत किये जाने पर कारण सहित प्रबंधक व नेफैड सर्वेयर के हस्ताक्षर युक्त रिपोर्ट समिति को उपलब्ध करानी होगी।
- समिति अस्वीकृत रिपोर्ट में उल्लेखित कारण से संतुष्ट न होने पर गुणवत्ता विवाद निस्तारण हेतु गठित कमेटी की बैठक का आयोजन कर निस्तारण करवाया जावें (आदेश दिनांक 29.03.2022, **परिशिष्ट–24**)।
- कमेटी द्वारा कृषि जिन्स गुणवत्ता के क्रम में लिये गये निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।
- Fair Average Quality (FAQ) कृषि जिन्स ही भण्डारगृह में भण्डारित की जावें।
- Non Fair Average Quality (Non FAQ) कृषि जिन्स किसी भी सुरत में भण्डारण नहीं की जावें।
- Non Fair Average Quality (Non FAQ) क्रय कृषि जिन्स के लिए समिति ही जिम्मेदार होगी एवं सम्बंधित कृषक को भुगतान या जिन्स लौटाने का दायित्व समिति का ही होगा।

28. नॉन एफ.ए.क्यू. स्टॉक का निस्तारण

- नॉन एफ.ए.क्यू. श्रेणी का जिन्स का क्रय किया जाना मान्य नहीं होने के कारण राजफैड/नेफेड द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- इस हेतु संबंधित समिति व्यवस्थापक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।
- नॉन एफ.ए.क्यू. श्रेणी के जिन्स का संबंधित किसान को भुगतान अथवा जिन्स वापसी लौटाने का दायित्व संबंधित समिति का होगा।
- नॉन एफ.ए.क्यू. श्रेणी के जिन्स के निस्तारण में होने वाली हानि संबंधित समिति से वसूली योंग्य होगी। राजफैड़ द्वारा नॉन एफ.ए.क्यू. श्रेणी के जिन्स का भुगतान नहीं किया जावेगा।

29. मण्डी कर एवं कृषक कल्याण सेस

- राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 10(2)कृषि/ग्रुप–2/1975 पार्ट दिनांक 28.09.2022 के जरिये प्रदत्त छूट के फलस्वरूप खरीफ फसल 2022–23 में क्रय कृषि जिन्स मण्डी कर व कृषक कल्याण सेस से विमुक्त रहेगी।
- अधिसूचना दिनांक 28.09.2022 की प्रति **परिशिष्ट–25** पर उपलब्ध है।

30. सेवा कर शुल्क (Goods & Service Tax-GST)

- मूंग व उड़द पर सेवा कर शुल्क लागू नहीं है।
- मूंगफली व सोयाबीन पर नियमानुसार जी.एस.टी. देय है।
- सेवा कर शुल्क का पुनर्भरण नेफैड द्वारा किया जावेगा।
- क्रय बिल प्रत्येक माह भिजवाये जावें।

Scanned with CamScanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

- गत माह की जी.एस.टी. आर–1 की प्रति क्लेम सहित आगामी माह की 07 तारीख तक क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करने का दायित्व समिति का होगा।
- क्षेत्रीय अधिकारी का दायित्व होगा कि प्राप्त जी.एस.टी. आर–1 की प्रति समितिवार संकलित कर मुख्यालय को आगामी माह की 10 तारीख तक प्रेषित करे।
- जी.एस.टी. आर–1 प्रेषण के अभाव में जी.एस.टी. भुगतान बाधित होने पर समिति ही जिम्मेदार होगी।
- निर्धारित समयावधि में जी.एस.टी. आर–1 फाईल किया जावे एवं फाईल अनुरूप ही पुनर्भरण हो सकेगा।
- क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जी.एस.टी. भुगतान के संकलित प्रस्ताव के साथ जी.एस.टी. आर–1 की प्रति भी प्रेषित की जावें।
- क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जी.एस.टी. के क्लेम मय जी.एस.टी.आर–1 समितियों से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत करें।
- विलम्ब से जी.एस.टी. आर–1 दायर करने पर अधिरोपित शास्ती समिति द्वारा वहन की जावेगी।

31. कृषक भुगतान

- कृषि जिन्स क्रय के विरूद्ध कृषक को भुगतान जनआधार कार्ड में सीडेड बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जावेगा।
- भुगतान हेतु निम्न प्रक्रिया निस्पादित की जानी आवश्यक होगी :–

1. **भुगतान वेयरहाउस में जमा एफ.ए.क्यू. श्रेणी कृषि जिन्स का ही किया जा सकेगा, अतः क्रय कृषि जिन्स भण्डारण रसीदें अविलम्ब प्रस्तुत करें।**
2. **एफ.ए.क्यू. श्रेणी का क्रय कृषि जिन्स वेयरहाउस में जमा व जमा की रसीद प्रस्तुत करने पर ही भुगतान का दायित्व राजफैड़ का होगा अन्यथा स्थिति में समिति ही उत्तरदायी होगी।**
3. दैनिक खरीद समाप्ति पश्चात् खरीद केन्द्र प्रभारी द्वारा **गिरदावरी–टिकिंग** करते हुए **डे–क्लोज** करेंगे व खरीद का मिलान गिरदावरी एवं खरीद पर्ची से कर पोर्टल को अपडेट करेगें।
4. **व्यवस्थापक, क्रय–विक्रय सहकारी समिति द्वारा क्रय कृषि जिन्स स्टॉक भौतिक सत्यापन रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।**
5. **भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में कुल खरीद मात्रा, भण्डारगृह में जमा मात्रा, पिड पर शेष रहे स्टॉक की मात्रा समिति के कब्जे में होने इत्यादि का विवरण अंकित होगा। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का प्रारूप परिशिष्ट–26 पर उपलब्ध है।**
6. **भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर सूचना संकलित कर क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड़ एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ को साप्ताहिक (Weekly) प्रस्तुत करनी होगी।**
7. क्रय कृषि जिन्स का मिलान रिकॉर्ड से कर भुगतान हेतु पोर्टल पर अनुमोदन क्रय प्रभारी द्वारा किया जावेगा।
8. क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा अनुमोदित खरीद को क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड द्वारा सूक्ष्म परीक्षण उपरान्त डब्ल्यूआर में उल्लेखित राशि तक का भुगतान अनुमोदित किया जावेगा।
9. क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अनुमोदित खरीद भुगतान बैंक वाईज सृजित विवरण की जॉच Public Finance Management System पर की जावेगी।
10. PFMS में जॉच उपरान्त कृषक का बैंक खाता सही पाये जाने पर राशि का हस्तानान्तरण खातें में किया जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

11.PFMS जॉच में असफल पाये गये कृषकों की सूची तैयार कर भुगतान क्रय–विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से कृषक के सही खाते में NEFT/RTGS के जरिये किया जावेगा।

12.खरीद के दौरान कृषक का जनआधार लिंक बैंक खाता सही नहीं होने की दशा में समिति व्यवस्थापक द्वारा कृषक की पासबुक की छाया प्रति व प्रार्थना–पत्र मय अनुशंषा संशोधन हेतु मुख्यालय को rajfed.opr@yahoo.com पर भिजवाया जा सकता है।

32. कानून व्यवस्था

- पारदर्शिता व निष्पक्षता बनाये रखने एवं खरीद के दौरान सम्पादित गतिविधियों के अवलोकनार्थ व समीक्षार्थ सी.सी.टीवी कैमरे लगवाये जावें।
- आवश्यकता होने पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य संग्रहण हेतु विडियोग्राफी करवाने की व्यवस्था की जावें।
- सी.सी.टीवी कैमरे स्थापित करने व विडियोग्राफी पर होने वाला व्यय समिति द्वारा वहन किया जावेगा।
- खरीद के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं प्रभावी पर्यवेक्षण व खरीद गतिविधियों का संचालन सुगमता से किये जाने के दृष्टिगत स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय व सम्पर्क निरन्तर रखा जावें।
- स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को खरीद प्रगति व व्यवस्थाओं से समय–समय पर अवगत कराया जावें।
- राज्य आज्ञा क्रमांक क्रमांक 6(13) अनु–3/2018 दिनांक 17.04.2018 के जरिये गठित खरीद केन्द्र समन्वय व निगरानी समिति की बैठक का आयोजन भी आवश्यकतानुसार करें। राज्य आज्ञा दिनांक 17.04.2018 **परिशिष्ट – 27** पर उपलब्ध है।
- पुलिस प्रशासन से भी समन्वय व सम्पर्क बनाये रखा जावें ताकि विपरीत परिस्थितियों में तत्काल इमदाद प्राप्त हो सकें।
- खरीद अवधि के दौरान क्रय केन्द्र पर आवश्यकतानुरूप पुलिस बल भी नियोजित करवाये ताकि खरीद में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

33. प्रचार–प्रसार

- क्रय केन्द्र पर लगाये जाने वाले होर्डिग व बैनर में निम्न तथ्य दर्शित किये जावे :–
  - (i) एफ.ए.क्यू. मापदण्ड व जिन्सवार समर्थन मूल्य
  - (ii) कृषि जिन्स विक्रय हेतु कृषक द्वारा लाये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
  - (iii) केन्द्र प्रभारी व समिति व्यवस्थापक का नाम व मोबाईल नम्बर
  - (iv) कृषक द्वारा वहनीय व्यय का ब्यौरा
  - (v) समस्या समाधान हेतु टोल फी नम्बर व उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों का नाम व मोबाईल नम्बर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड का नाम व मोबाईल नम्बर
  - (vi) विक्रय बिल जारी करने हेतु विक्रय पर्ची जमा करवाने के लिए कृषक से आग्रह
- होर्डिग व बैनर ऐसे स्थलों पर भी प्रदर्शित किये जाये जहाँ कृषकों का आगमन निरन्तर बना रहता है यथा तहसील, पंचायत समिति, जिला परिषद, उप खण्ड अधिकारी कार्यालय इत्यादि।
- प्रारूप **परिशिष्ट – 28** पर संलग्न है।

34. सतर्कता (Vigilance)

- राजफैड मुख्यालय पर खरीद गतविधियों की सतत् निगरानी व पर्यवेक्षण हेतु खरीद प्रकोष्ठ की स्थापना करना।

Scanned with CamScanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

- मुख्यालय पर कॉल सेन्टर का संचालन करना।
- कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ में खरीद गतविधियों की निगरानी व पर्यवेक्षण हेतु खरीद प्रकोष्ठ स्थापित करना।
- उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ द्वारा जिले में संचालित खरीद केन्द्रों का सतत् व सगन पर्यवेक्षण करना।
- क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड द्वारा प्रत्येक सप्ताह में न्यूनतम 3 खरीद केन्द्र विजिट कर खरीद समीक्षा करना।
- राजफैड मूख्यालय पर कार्यरत महाप्रबंधकगण द्वारा खरीद केन्द्रों का औचक निरीक्षण कर खरीद व्यवस्था का जायजा व समीक्षा करना।
- क्रय किये गये कृषि जिन्स का भण्डारण आवंटित भण्डारगृह में करने व भण्डारण उपरान्त जारी डब्ल्यूआर की समीक्षा करना।
- क्रय कृषि जिन्स की गुणवत्ता की जॉच व समीक्षा करना।
- खरीद गतविधियों में व्यवधान आने पर राजफैड मुख्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड व उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ को तत्काल अवगत कराने का दायित्व क्रय केन्द्र प्रभारी व समिति व्यवस्थापक का होगा।
- कृषि जिन्स गुणवत्ता के क्रम में उत्पन्न विवाद का निस्तारण गठित कमेटियों की बैठक आयोजित करवाकर करावे।
- पोर्टल पर दर्ज दैनिक खरीद प्रगति, भण्डारण, डब्ल्यूआर इत्यादि की समीक्षा करना।
- विजिटकर्ता अधिकारी द्वारा विजिट रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप **परिशिष्ट-29** अनुसार प्रस्तुत करेंगें।
- इकाई अधिकारियों, समिति व्यवस्थापकों, केन्द्र प्रभारियों एवं कम्प्युटर ऑपरेटर्स के दायित्व का निर्धारण पत्र क्रमांक 15988-16388 दिनांक 09.11.2020 **परिशिष्ट-30** अनुसार किया हुआ है।

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए खरीद गतिविधियों का संचालन पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ करते हुए निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डानुसार कृषि जिन्स क्रय किये जावे। क्रय कृषि जिन्स का भण्डारण आवंटित भण्डारगृह में कर डब्ल्यूआर राजफैड मुख्यालय में प्रस्तुत करे। साथ ही खरीद व्यय बिल भी निर्धारित अंतराल से प्रस्तुत भी करे। खरीद अवधि के दौरान आपसी समन्वय का भी विशेष ध्यान रखा जावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(उर्मिला राजोरिया)
21/10/22
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. शासन सचिव, कार्यालय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि श्रीमान् के स्तर से भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्स खरीद के क्रम में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का श्रम करावें।
8. आयुक्त कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।

Scanned with CamScanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX : 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

9. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि राज्य की कृषि उपज मण्डियों के सचिवगण को खरीद के दौरान कृषकों के लिए छाया–पानी, ठहरने की व्यवस्था, तिरपाल, विद्युत आपूर्ति इत्यादि व्यवस्था करने के लिए निर्देशित करने का श्रम करावें।
10. संभागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए संभाग के जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने का श्रम करावें।
11. जिला कलक्टर (समस्त) को प्रेषित कर अनुरोध है कि खरीद को सुचारू व सुगमता से संचालित करने के लिए खरीद केन्द्र पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, संबंधित उपपुलिस अधीक्षक व थानाधिकारी को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने का श्रम करावें।
12. जिला पुलिस अधीक्षक (समस्त) को प्रेषित कर अनुरोध है कि संबंधित वृताधिकारी व थानाधिकारी को खरीद केन्द्र पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने का श्रम करावें।
13. उपखण्ड अधिकारी (संबंधित) को प्रेषित कर अनुरोध है कि आपके क्षेत्राधिकार में संचालित खरीद केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण व कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए कारगर कदम उठाने का श्रम करावें।
14. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मार्के), सहकारी समितियाँ, राजस्थान जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि समर्थन मूल्य दलहन/तिलहन खरीद हेतु जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु फिल्ड में कार्यरत विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी करने का श्रम करावें।
15. राज्य प्रमुख, नेफेड जयपुर।
16. प्रबन्ध संचालक, तिलम संघ, जयपुर।
17. अतिरिक्त निदेशक डीओआईटी, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि कृषि जिन्स खरीद के क्रम में जारी दिशा–निर्देशों की पालना समस्त ई–मित्र कियोस्क धारकों को किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का श्रम करावें।
18. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, कमरा नं. 8318, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. जनसम्पर्क अधिकारी, सहकारी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
20. निजी सचिव, प्रबन्ध संचालक, राजफैड, जयपुर – उक्त आदेश राजफैड वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।
21. महाप्रबन्धक (वित्त/कृषि/मा.स.वि.) राजफैड, जयपुर।
22. आईटी शाखा, राजफैड, जयपुर।
23. रक्षित पत्रावली।

महाप्रबन्धक (वाणिज्य)

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट - 1

Government of Rajasthan
Agriculture (Group-1) Department,
Rajasthan, Jaipur

No.F.9( )Agri.-1/Input/2022

Jaipur, Dated:- 16-09-2022

NOTIFICATION

Under the Price Support Scheme (PSS) for the procurement of **Moong and Urad** on Minimum Support Prices in the year of 2022-23 as per the guidelines of GOI, a notification regarding Crop Calendar and Harvesting period of **Moong and Urad** in Rajasthan State is *required to be issued as part of the proposal.*

Therefore, Government of Rajasthan hereby notifies and declares the sowing and harvesting time period of Kharif Crops **Moong and Urad** in the State of Rajasthan as under:-

Particulars	Kharif 2022
Sowing	June-July 2022
Harvesting	Sept.- Nov.2022

By order and in the name of Government of Rajasthan

GM(C)

(Dr. Anil Kumar)
Deputy Secretary to Govt.

19 SEP 2022

3779 No.F.9(3)Agri.-1/Input/2022

Jaipur, Dated:- 16-09-2022

Copy to following for information and necessary action:

1. P.S. to Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
2. SA to Hon'ble Agriculture Minister, Rajasthan, Jaipur.
3. SA to Hon'ble Minister, Food & Civil Supply Rajasthan, Jaipur.
4. SA to Hon'ble Minister, Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
5. PS to Principal Secretary Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
6. PS to Principal Secretary, Agriculture &Horticulture, Rajasthan, Jaipur.
7. PS to Secretary Food & Civil Supply Rajasthan, Jaipur.
8. PS to Registrar, Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
9. PS to Commissioner of Agriculture, Rajasthan Jaipur.
10. Joint Secretary Co-operative, Secretariat, Jaipur.
11. Director Agriculture Marketing Rajasthan Jaipur.
12. Managing Director RAJFED, Rajasthan Jaipur.

98 20/09/22

16/9
Deputy Secretary to Govt.

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

(133)

परिशिष्ट-2

Government of Rajasthan
Agriculture (Group-1) Department,
Rajasthan, Jaipur

No.F.9( )Agri.-1/Input/2022

Jaipur, Dated:- 16-09-2022

NOTIFICATION

Under the Price Support Scheme (PSS) for the procurement of **Groundnut and Soyabean** on Minimum Support Prices in the year of 2022-23 as per the guidelines of GOI, a notification regarding Crop Calendar and Harvesting period of **Groundnut and Soyabean** in Rajasthan State is required to be issued as part of the proposal.

Therefore, Government of Rajasthan hereby notifies and declares the sowing and harvesting time period of Kharif Crops **Groundnut and Soyabean** in the State of Rajasthan as under:-

GM(C)

Particulars	Kharif 2022
Sowing	May-July 2022
Harvesting	Oct.-Nov.2022

By order and in the name of Government of Rajasthan

19 SEP 2022

3280

P-5

(Dr. Anil Kumar)
Deputy Secretary to Govt.

No.F.9( )Agri.-1/Input/2022

Jaipur, Dated:- 16-09-2022

Copy to following for information and necessary action:

1. P.S. to Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
2. SA to Hon'ble Agriculture Minister, Rajasthan, Jaipur.
3. SA to Hon'ble Minister, Food & Civil Supply Rajasthan, Jaipur.
4. SA to Hon'ble Minister, Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
5. PS to Principal Secretary Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
6. PS to Principal Secretary, Agriculture &Horticulture, Rajasthan, Jaipur.
7. PS to Secretary Food & Civil Supply Rajasthan, Jaipur.
8. PS to Registrar, Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
9. PS to Commissioner of Agriculture, Rajasthan Jaipur.
10. Joint Secretary Co-operative, Secretariat, Jaipur.
11. Director Agriculture Marketing Rajasthan Jaipur.
12. Managing Director RAJFED, Rajasthan Jaipur.

99
20/09/22

16/9

Deputy Secretary to Govt.

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-3 109

GSTIN: 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740432, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांकः वाणिज्य/2022-23/2043-2053 दिनांक 09.09.2022
13

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजफैड़ (समस्त)

....

विषय :- आगामी खरीफ सीजन 2022 में दलहन-तिलहन का संभावित उत्पादन।
प्रसंग :- कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ.6(iii) प्रोक्यो /10036-37 दिनांक 07.09.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुख्य सांख्यिकी अधिकारी, कृषि आयुक्तालय के प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.09.2022 के साथ आगामी खरीफ सीजन 2022 में मूंग, मूंगफली, उड़द, सोयाबीन के संभावित उत्पादन एवं बुवाई क्षेत्रफल की प्राप्त सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवायी जा रही है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

महाप्रबंधक(वाणिज्य)

प्रतिलिपि :-
1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजफैड़, जयपुर।
2. महाप्रबन्धक (मा.स.वि.), राजफैड़, जयपुर।
3. आई.टी. शाखा राजफैड़, जयपुर।

महाप्रबंधक(वाणिज्य)

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-4

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ6(iii) आ.कृ./मु.सा.अ./प्रोक्यो/दल0-तिल0/2022/10036-37 दिनांक 7/9/22

प्रबन्ध संचालक,
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय
संघ लि., 4 भवानी सिंह रोड़, जयपुर।

विषय:- आगामी खरीफ सीजन 2022-23 में समर्थन मूल्य पर दलहन, तिलहन की खरीद हेतु नोटिफिकेशन, सम्भावित बुआई, उत्पादन एवं आवक की मुख्य अवधि की सूचना बाबत्।

प्रसंग:- आपका कार्यालय पत्र क्रमांक:-वाणिज्य/2022-23/1778-1780 दिनांक 25.08.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के विषयान्तर्गत खरीफ सीजन 2022 में भारत सरकार के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन आदि की खरीद हेतु राजस्व मण्डल, अजमेर से प्राप्त प्रथम अग्रिम उत्पादन अनुमानों का कोर ग्रुप की बैठक में अनुमोदन के आधार पर दलहन-तिलहन एवं मोटे अनाज के बुवाई क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उपज की जिलेवार सूचना संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं नोटिफिकेशन जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

8 SEP 2022
3744

संलग्न - उपर्युक्तानुसार।

(पी0 के0 गुप्ता)
मुख्य सांख्यिकी अधिकारी

क्रमांक:एफ6(iii) आ.कृ./मु.सा.अ./प्रोक्यो/दल0-तिल0/2022/10036-37 दिनांक 7/9/22

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव कृषि (ग्रुप-1) विभाग जयपुर को सूचनार्थ।

मुख्य सांख्यिकी अधिकारी

कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जनपथ रोड, जयपुर दूरभाष न0 0141-2227089, 2227709, फैक्स न.- 0141-2227089
ई-मेल आईडी-cag.agri@rajasthan.gov.in, jdagr_stat@rediffmail.com
E:\ASO PJ\LETTER\legal letter-Procurment.docx-30

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट - 5

DISTRICT	CROP : MOONG																	
	AREA (HECT.)						PRODUCTION (TONNES)						YIELD (Kg/ha.)					
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23**	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23**	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23**
AJMER	108267	121094	115588	114279	117074	107803	71284	84061	71194	57761	48271	67592	658	694	616	505	412	627
ALWAR	11	1	16	55	48	355	5	0	9	30	17	240	455	0	563	545	354	675
BANSWARA	5	4	7	1	0	6	2	2	4	0	0	0	400	500	571	0	0	0
BARAN	247	145	31	54	13	689	107	72	17	30	5	386	433	497	548	556	354	560
BARMER	77350	71974	56146	61866	33696	53776	12992	4040	23952	26424	2765	30443	168	56	427	427	52	566
BHARATPUR	54	85	73	95	21	81	23	41	41	52	7	47	426	494	562	547	354	575
BHILWARA	14042	14294	12195	5465	7908	13918	4995	7377	3315	1878	3087	6263	356	516	272	222	390	450
BIKANER	53449	69188	47420	42451	45511	48630	22960	20404	16857	16666	16037	25884	430	295	355	393	352	532
BUNDI	77	117	38	23	22	1116	33	58	21	13	8	621	429	496	553	565	354	557
CHITTOR	449	575	594	259	316	300	194	285	332	142	112	171	432	496	559	548	354	570
CHURU	211572	245715	283021	311566	368157	256421	64818	89010	130202	169782	74240	123595	307	362	460	545	202	482
DAUSA	36	26	13	16	19	14	16	13	7	9	7	8	444	500	538	563	354	550
DHOLPUR	117	80	71	70	26	200	51	39	40	39	9	115	436	488	563	557	354	575
DUNGARPUR	25	7	23	355	1	20	11	3	13	195	0	9	440	429	565	549	354	450
GANGANAGAR	52219	101961	81967	147904	169720	95480	27335	44758	40396	95913	28479	61695	523	439	493	648	362	645
HANUMANGARH	23794	36961	35900	67039	101543	78239	14103	18879	13815	34007	50804	50439	593	511	385	358	456	621
JAIPUR	122396	126756	119126	122480	117767	94561	50205	76622	81613	47518	61004	66193	410	604	685	388	513	700
JAISALMER	51447	59386	56404	53139	42718	50200	12345	16153	22236	18891	13546	24582	240	272	394	356	317	490
JALORE	133075	124922	103852	111323	133621	116013	37201	24882	55459	34322	6867	73807	280	199	534	308	51	636
JHALAWAR	136	87	132	69	58	1128	59	43	74	38	21	654	434	494	561	551	354	580
JHUNJHUNU	38755	56547	61100	59379	60646	53248	11949	36885	33604	35592	17514	35884	308	652	550	599	289	674
JODHPUR	318214	342295	316927	321697	295679	295000	192180	173873	232478	221120	106698	219775	604	508	734	687	361	745
KAROLI	26	24	55	13	23	94	11	12	31	7	8	55	423	500	564	538	354	580
KOTA	155	101	26	42	48	242	67	50	14	23	17	133	432	495	538	548	354	550
NAGAUR	617904	652408	631291	699828	664128	522069	313094	408688	402928	443460	301643	349345	507	626	635	634	454	669
PALI	295121	279808	253703	277230	235379	242900	67248	126223	81116	118005	47825	97160	225	451	320	426	203	400
PRATAPGARH	12	6	3	3	4	7	5	3	2	2	1	4	417	500	667	667	354	580
RAJSAMAND	760	708	650	391	453	1055	328	351	364	215	160	612	432	496	560	550	354	580
SAWAI MADHOPUR	130	345	194	64	28	405	36	171	108	35	10	235	431	496	557	547	354	580
SIKAR	46970	67443	68860	77339	78530	68866	17342	28166	33218	63812	32730	54060	369	418	723	825	417	785
SIROHI	9110	6419	5852	5261	6171	6275	82	1964	3290	2689	2384	3734	9	306	562	511	396	595
TONK	73549	85571	71615	66414	61141	56835	50158	57883	32846	24077	41366	26997	682	676	459	363	677	475
UDAIPUR	145	178	105	124	202	388	61	88	59	68	71	225	434	494	562	548	354	580
Total	2249619	2465229	2322998	2549294	2560471	2166328	971322	1221099	1299655	1402815	905713	1321460	432	495	559	550	354	610

NOTE- **FIRST ADVANCE ESTIMATE KHARIF 2022

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट - 6

CROP : URAD																		
DISTRICT	AREA (HECT.)						PRODUCTION (TONNES)						YIELD (Kg/ha.)					
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23**	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23**	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23**
AJMER	55691	42848	30362	46426	30608	38389	44129	30722	10408	20446	12291	24953	792	717	343	440	402	650
ALWAR	2	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1000	0	0	0	1000
BANSWARA	8811	8681	7424	5850	4285	5494	8062	6820	2976	1973	1542	4945	915	786	401	337	360	900
BARAN	136502	104211	48741	22115	35192	17218	119643	49279	6680	8223	6612	20662	876	473	137	372	188	1200
BARMER	13	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	615	0	0	0	0	0
BHARATPUR	111	94	58	70	29	67	69	47	14	27	11	70	622	500	241	386	366	1045
BHILWARA	100199	77755	60746	53631	57056	32999	21745	38327	12247	5943	15465	24473	217	493	202	111	271	742
BIKANER	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0
BUNDI	144095	139511	96902	91137	118717	52992	89828	31957	18018	23626	48013	50709	623	229	186	259	404	957
CHITTOR	11518	12546	9726	6043	7442	8000	5786	6656	1223	3617	1630	6320	502	531	126	599	219	790
CHURU	1	0	4	3	2	1	1	0	1	1	1	1	1000	0	250	333	367	1000
DAUSA	31	62	16	77	4	5	19	31	4	30	1	3	613	500	250	390	366	600
DHOLPUR	164	125	88	136	42	90	102	62	22	53	15	95	622	496	250	390	366	1056
DUNGARPUR	11796	11055	9721	8236	7257	7246	9104	8882	3477	2792	4485	7246	772	803	358	339	618	1000
GANGANAGAR	419	134	147	59	0	0	262	67	36	23	0	0	625	500	245	390	0	0
HANUMANGARH	48	12	11	16	0	0	30	6	3	6	0	0	625	500	273	375	0	0
JAIPUR	2906	1676	1196	855	703	466	1289	1213	730	416	264	335	444	724	610	487	376	719
JAISALMER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JALORE	14	7	5	4	2	0	9	3	1	2	1	0	643	429	200	500	0	0
JHALAWAR	56201	50183	30280	17618	15941	19589	43342	22152	2911	4036	3263	12733	771	441	96	229	205	650
JHUNJHUNU	0	1	0	0	0		0	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0
JODHPUR	129	15	0	15	2	5	81	8	0	6	1	3	628	533	0	0	0	600
KAROLI	181	684	177	123	115	112	112	343	43	48	42	72	619	501	243	390	366	643
KOTA	102839	98729	42604	20914	31898	29095	78182	58003	5117	12227	9197	22141	760	587	120	585	288	761
NAGAUR	69	7	2	0	0	0	43	3	0	0	0	0	0	429	0	0	0	0
PALI	1670	1008	503	431	1689	1530	1042	505	124	186	549	857	624	501	247	432	325	560
PRATAPGARH	4967	5914	4525	3094	2176	4160	3201	6964	2719	3070	1888	3750	644	1178	601	992	867	901
RAJSAMAND	1220	1171	1113	1084	1230	1334	761	586	274	423	451	1334	624	500	246	390	366	1000
SAWAI MADHOPUR	72438	70554	61611	48191	33250	44300	24964	38360	25839	26473	16237	44300	345	544	419	549	488	1000
SIKAR	14	1	1	1	1	0	9	1	0	0	0	0	0	1000	0	0	366	0
SIROHI	4207	3717	3293	3036	3767	3470	40	1661	2291	1931	1440	1319	10	447	696	636	382	380
TONK	114885	112479	85170	74934	67807	38760	68225	67914	25117	40193	29167	25194	594	604	295	536	430	650
UDAIPUR	8147	7539	7669	7105	5642	7220	3519	5335	3395	4624	3059	4144	432	710	0	651	542	574
	839289	750720	502095	411204	424857	312543	523609	375929	123670	160395	155626	255660	624	501	246	390	366	818

NOTE- **FIRST ADVANCE ESTIMATE KHARIF 2022

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट - 7

DISTRICT	CROP :SOYABEAN AREA (HECT.)						PRODUCTION (TONNES)						YIELD (Kg/ha.)					
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23**	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23**	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23**
AJMER	1	1	3	6	21	150	1	1	1	6	17	158	1000	1000	333	1000	801	1053
ALWAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANSWARA	69136	69412	75416	78613	78817	72959	82284	80459	57025	103516	85627	138622	1190	1159	756	1317	1086	1900
BARAN	154298	185895	250359	266293	261112	254486	209806	229651	134466	246328	164717	458074	1360	1235	537	925	631	1800
BARMER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BHARATPUR	0	0	0	4	10	0	0	0	0	4	8	0	0	0	0	1000	802	0
BHILWARA	5319	4588	5036	5486	5465	9455	5755	7404	2418	7137	8342	16676	1082	1515	480	1301	1526	1764
BIKANER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BUNDI	23944	27245	46061	38423	36565	64603	34015	31254	22564	32966	23574	86070	1421	1147	490	858	645	1332
CHITTOR	116609	106073	102677	67398	86607	94500	96669	139384	42848	57209	52243	122850	829	1314	417	849	603	1300
CHURU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
DAUSA	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	801	0
DHOLPUR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	801	0
DUNGARPUR	32757	34648	36722	37907	39015	40268	30053	45693	16031	35630	36616	76509	917	1319	437	940	939	1900
GANGANAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HANUMANGARH	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	801	0
JAIPUR	1	1	1	1	5	0	1	1	1	1	4	0	1000	1000	0	1000	801	0
JAISALMER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JALORE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JHALAWAR	209395	220071	248623	271527	274066	252631	282412	271821	68954	155139	184630	290526	1349	1235	277	571	674	1150
JHUNJHUNU	1	1	0	0	1	18	1	1	0	0	1	65	0	1000	0	0	801	3611
JODHPUR	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAROLI	10	4	3	19	12	9	12	5	2	18	10	9	1200	1250	667	947	801	1000
KOTA	120764	127923	180334	185824	188182	182689	150550	150568	115752	254313	162080	252111	1247	1177	642	1369	861	1380
NAGAUR	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PALI	14	10	5	1	17	0	17	13	2	1	14	0	1214	1300	400	1000	801	0
PRATAPGARH	129545	129394	138700	141098	143464	130210	154689	179554	45268	163559	160829	169840	1194	1388	326	1159	1121	1304
RAJSAMAND	195	413	473	846	1004	2243	235	518	222	819	805	2243	1205	1254	469	968	801	1000
SAWAI MADHOPUR	5037	1683	1511	1690	1269	4390	5570	2278	1867	2835	1597	10975	1106	1354	1236	1678	1258	2500
SIKAR	0	7	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIROHI	2	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1000	0	0	1000	0	0
TONK	116	46	90	202	114	425	140	58	42	196	91	425	1207	1261	467	970	801	1000
[illegible]PUR	19343	24195	32552	34358	39444	45000	17618	29895	17591	34512	44627	56250	911	1236	540	1004	1131	1250
	886487	931913	1118568	1129697	1155195	1154036	1069830	1168570	525055	1094190	925834	1681403	1207	1254	469	969	801	1457

NOTE- **FIRST ADVANCE ESTIMATE KHARIF 2022

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट - 8

DISTRICT	CROP : GROUNDNUT																	
	AREA (HECT.)						PRODUCTION (TONNES)						YIELD (Kg/ha.)					
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23**	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23**	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23**
AJMER	1483	1243	1196	2295	2443	2278	2089	1322	1657	3608	2537	3672	1409	1064	1385	1572	1038	1612
ALWAR	392	265	195	360	781	726	638	544	428	813	1665	1769	1628	2053	2195	2258	2132	2436
BANSWARA	257	267	263	203	234	254	505	548	578	458	499	603	1965	2052	2198	2256	2132	2375
BARAN	985	627	384	271	408	820	1936	1287	844	612	870	1885	1965	2053	2198	2258	2132	2298
BARMER	4374	3478	3735	5127	4910	4726	5889	4675	8387	10030	10080	10135	1346	1344	2245	1956	2053	2144
BHARATPUR	3	4	3	1	2	4	6	8	7	2	4	8	2000	2000	2333	2000	2132	2040
BHILWARA	9088	10923	11931	12553	16489	14095	11031	16522	9389	19737	21188	22725	1214	1513	787	1572	1285	1612
BIKANER	220552	238858	245062	257569	229254	222270	514095	531099	529065	610197	590958	649072	2331	2223	2159	2369	2578	2920
BUNDI	387	330	369	299	169	1494	761	678	811	675	360	3433	1966	2055	2198	2258	2132	2298
CHITTOR	18344	25784	25462	23910	29291	28000	30990	51068	19968	52633	42255	62756	1689	1981	784	2201	1443	2241
CHURU	63451	72915	72692	83535	70751	70580	144687	178801	165529	202519	154882	173934	2280	2452	2277	2424	2189	2464
DAUSA	9078	10416	11096	13217	13415	13588	14551	18152	20856	25627	28105	33890	1603	1743	1880	1939	2095	2494
DHOLPUR	35	35	42	28	29	18	69	72	92	63	62	41	1971	2057	2190	2250	2132	2290
DUNGARPUR	27	32	24	69	85	163	53	66	53	156	181	375	1963	2063	2208	2261	2132	2301
GANGANAGAR	5321	7070	6929	6193	2695	5120	8535	15358	16585	12950	4079	13911	1604	2172	2394	2091	1513	2717
HANUMANGARH	21545	16423	11937	13683	13209	15391	45765	32167	26400	22650	21335	41093	2124	1959	2212	1655	1615	2670
JAIPUR	32185	31080	37379	46975	45153	41071	54436	65321	83937	111117	95509	110794	1691	2102	2246	2365	2115	2698
JAISALMER	25665	34474	41216	55287	44988	44000	42203	55298	77431	84297	64028	68848	1644	1604	1879	1525	1423	1565
JALORE	18829	17501	21922	31487	29879	32065	26512	27365	57416	84293	39565	87123	1408	1564	2619	2677	1324	2717
JHALAWAR	1481	1153	972	605	427	2800	2911	2368	2135	1366	910	6433	1966	2054	2197	2258	2132	2298
JHUNJHUNU	4270	6487	8200	20599	17436	12180	7462	14896	18040	39390	33643	23178	1748	2296	2200	1912	1930	1902
JODHPUR	129423	111784	151579	160422	154890	157000	241972	214701	402460	394239	339689	392109	1870	1921	2655	2458	2193	2498
KAROLI	334	261	290	350	167	179	657	536	637	791	356	412	1967	2054	2197	2260	2132	2300
KOTA	426	234	131	149	89	394	837	481	288	337	190	907	1965	2056	2198	2262	2132	2302
NAGAUR	17595	17784	17677	30878	32453	41846	30936	32721	39361	66717	66104	92089	1758	1840	2227	2161	2037	2201
PALI	942	819	743	783	1138	1305	891	1410	1632	1768	2426	2999	946	1722	2197	2258	2132	2298
PRATAPGARH	741	1543	1582	1934	3421	662	1456	3169	978	4328	5364	1508	1965	2054	618	2238	1568	2278
RAJSAMAND	1181	1200	1196	961	735	1132	2321	2464	2627	2171	1567	2603	1965	2053	2196	2259	2132	2299
SAWAI MADHOPUR	2307	2410	2376	3811	4523	4270	2443	3205	3532	5112	6602	5598	1059	1330	1487	1341	1460	1311
SIKAR	22544	25171	25917	36523	34782	31035	50072	57745	62540	87699	81578	85763	2221	2294	2413	2401	2345	2763
SIROHI	14219	16060	17038	19422	20122	20152	0	27334	42702	48620	49492	51254	0	1702	2506	2503	2460	2543
TONK	11692	15387	18105	21324	20585	14220	11329	20238	26087	27678	29642	38026	969	1315	1441	1298	1440	2674
[illegible]	1415	1348	1378	1329	925	1281	1087	1247	900	2024	1201	2002	768	925	653	1523	1299	1563
[illegible]	640571	673366	739012	852152	795878	785119	1259125	1382866	1623352	1924677	1696929	1891847	1966	2054	2197	2259	2132	2537

NOTE- **FIRST ADVANCE ESTIMATE KHARIF 2022

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट – 9

41

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक 3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 जयपुर, दिनांक: 12.09.2018

1. समस्त संभागीय आयुक्त
2. समस्त जिला कलेक्टर
राजस्थान।

परिपत्र

इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प 2 (4) राज–4/98/37 दिनांक 13.12.1991 के अन्तर्गत मंदिर माफी/देवमूर्ति की भूमियों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये थे–

1. भविष्य में जो जमाबंदी राजस्व विभाग या बंदोबस्त विभाग द्वारा बनाई जाए, उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या सेवायत का नाम नही लिखा जाए।
2. प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मा मे अलग से रखा जाए, जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है, उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जाए।
3. जो जमाबंदी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभावशील है, उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जाए तथा ऊपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जाए, इस बाबत स्पष्ट नोट जमाबंदी के रिमार्क के कॉलम में अंकित किया जाए।

इसका संभावित उददेश्य यह था कि मंदिर भूमि का विधि विरूद्ध रूप में रहन या विक्रय न हो सके। इस आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी से पुजारियों के नाम हटाए गए।

उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों की सही क्रियान्विति नही करने या गलत व्याख्या करने के कारण मन्दिर माफी की भूमियों के संबध में समस्याए राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई। अतः राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है:–

1. पूर्व परिपत्र दिनांक 13.12.91 की पालना में जमावन्दी में मूर्तिमंदिर के साथ पुजारी का नाम विलोपित करने के साथ यदि पृथक से इस हेतु संधारित रजिस्टर में उसका अंकन नही किया गया हो तो

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 13.12.91 को जमाबन्दी में अंकित पुजारी/सेवायत का नाम इस हेतु पूर्व निर्धारित पृथक रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाये।

2. राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत खातेदार पट्टेदार खाविमदार के रूप में पुजारियों को मिली खातेदारी वाले पुजारी जिनका गलत रूप में विलोपन कर दिया गया है और जिन्हे पुनः खातेदारी दी जा सकती है। इस संबंध मे पूर्व में राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के उपरान्त दिनांक 24.5.2007 व परिपत्र दिनांक 25.11.2011 को जारी परिपत्र में इन्हे खातेदारी दिये जाने हेतु निर्देश व स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है, जिनका प्रकरणवार विधिक परीक्षण कर सही पाये जाने पर खातेदार बन चुके पुजारियो के नाम जमाबन्दी के खातेदार के कॉलम में अंकित किए जाने की यथोचित कार्यवाही की जाए।

3. परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के प्रावधानुसार मंदिर की भूमियों हेतु पृथक पंजिका बना कर उसमें पुजारियों के नाम दर्ज किये जावे, उसको पारदर्शी एवं नियमित रूप से अद्यतन रखने हेत पंजिका को ऑनलाईन कम्प्यूटराईज्ड रूप मे एल.आर.सी. पर जमाबंदी से लिंक किये जाने की कार्यवाही की जाये। मंदिर से संबधित खाते की जमाबन्दी की नकल के साथ आवश्यक रूप से पुजारी का यह प्रपत्र अपने समुचित प्राधिकार के साथ जारी/प्रदान किया जाएगा।

4. मंदिर भूमि हेतु परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में निम्नानुसार अनुमत/प्राधिकृत होगे:-

- मंदिर भूमि के विकास के लिए सबधित विभाग के नियमानुसार विद्युत, पेयजल, ट्यूबवेल आदि के लिए कनेक्शन हेतु।
- फसल खराबे की स्थिति में नियमानुसार सहायता अनुदान हेतु।
- कृषि विभाग की योजना अनुसार भूमि सीमा में पात्र होने पर बीज, कृषि उपादान आदि पर नियमानुसार अनुदान प्राप्त कने हेतु।
- इसी प्रकार राज्य सरकार की अन्य योजनाओं, जिसमें भूमि रहन न होती हो, उसमें उन्हे यथा प्रावधान लाभ दिया जा सकेगा।
- मंदिर के नाम बैंक खाता होने पर इसका संचालक एवं उपयोगकर्ता पुजारी को बनाया जा सकेगा। इसमें प्रत्येक पुजारी बहैसियत मंदिर के संरक्षक के रूप में नियमानुसार योजनांतर्गत लाभ हेतु अनुमत/प्राधिकृत होगा।

5. मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्ध करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मूर्तिमंदिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तदनुसार प्रभावी निस्तारण करेंगे।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निबंधक राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. जागीर आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

08AAAAR0279B1ZU

परिशिष्ट-10

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD
JAIPUR-302 001

क्रमांकः वाणिज्य /2022-23/2182-2238

दिनांक 20.09.2022
22

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजफैड़(समस्त)
....

विषय :- खरीफ वर्ष 2022-23 में कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्य एवं गुणवत्ता मापदण्ड।
प्रसंग :- नेफैड़ का पत्र क्रमांक 1053 दिनांक 08.09.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत नेफैड़ के प्रासंगिक पत्र दिनांक 08.09.2022 एवं इसके साथ संलग्न सलाहकार (एफ.ई.) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 15.06.2021 **(परिशिष्ट-1)** के द्वारा खरीफ जिन्सों के समर्थन मूल्य से निम्नानुसार अवगत कराया है :-

क्र.स.	जिन्स	खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 हेतु समर्थन मूल्य (प्रति क्विंटल)
1	मूंग	7755
2	उड़द	6600
3	मूंगफली	5850
4	सोयाबीन (पीली)	4300
5	ज्वार (हाईब्रिड)	2970
6	ज्वार (मालडण्डी)	2990
7	बाजरा	2350
8	मक्का	1962
9	अरहर (तूअर)	6600

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली के भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों की नेफेड से प्राप्त प्रति **(परिशिष्ट-2 से 4)** पर संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(उर्मिला राजोरिया)
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :-
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर।
3. महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा/मा.स.वि.), राजफैड़, जयपुर।
4. खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ ....
5. राज्य प्रमुख, नेफेड, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक(व्यापार), राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, जयपुर।
7. क्षेत्र प्रबन्धक, केन्द्रीय भण्डारण निगम, जयपुर।
8. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, (समस्त) ....
9 आई.टी. शाखा, राजफैड़, जयपुर।

महाप्रबंधक(वाणिज्य)

letter had 2022-23_G

Scanned with OKEN Scanner

परि.- 11

(116)

NAFED
60 Years in Service

JP/MK/Kharif PSS-2022/2022-23/ 1059

DT:08/09/2022

Managing Director
RAJFED
4 Bhawani Singh Road
Jaipur-302001

Subject: Details of MSP & FAQ specifications for Kharif-2022 for the purchase of Pulses & Oil Seeds under PSS - Reg

Madam,

As you are kindly aware that the Kharif-2022 season will be commencing soon, and the procurement of Pulses & Oilseeds at MSP will also be starting as per the Sanction/ Approval Order of Govt. of India.

Meanwhile, we are sending herewith the Minimum Support Prices (MSP) & Fair Average Quality (FAQ) Grade Specifications for the procurement under Price Support Scheme (PSS) for Kharif 2022-23. In order to ensure traceability of Kharif-2022 stock, QR codes are required to be machine stitched on the gunny bags accordingly QR Code requirement may also be provided to us along with the addresses of the concerned RO so that the QR Code indent/requirement be forwarded to HO in time, for supply of same. It is also requested that mobile application to be used for the purpose at procurement centre/deposit point may also be ready before commencement of procurement

3754

Thanking you,

Yours faithfully

State Head

Encl: As above

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड)
NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE MARKETING FEDERATION OF INDIA LTD.
3rd Floor, Nehru Sahkar Bhawan, Bhawani Singh Road, JAIPUR-302001
Tel: 91-141-2740796, 2740145 Fax: 91-141-2740736
E-mail : nafjpr@nafed-india.com Website: www.nafed-india.com; Twitter:@nafedindia

Scanned with OKEN Scanner

Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agriculture & Farmers Welfare
Directorate of Economics and Statistics

Minimum Support Prices (MSP) for Kharif Crops for Marketing Season 2022-23

Government has approved the increase in Minimum Support Prices (MSPs) for all mandated Kharif Crops (Fair Average Quality) for Marketing Season 2022-23. The decision of the Government to increase the MSP of Kharif crops fulfills the commitment to the farmers to provide at least 50 per cent return over cost of production. The details of MSPs for mandated Kharif Crops for Marketing Season 2022-23 are given below:

(₹ per quintal)

Commodity (Fair Average Quality)	Variety	Minimum Support Price
Paddy	Common	2040
Paddy	Grade 'A'	2060
Jowar	Hybrid	2970
	Maldandi	2990
Bajra		2350
Ragi		3578
Maize		1962
Tur (Arhar)		6600
Moong		7755
Urad		6600
Groundnut		5850
Sunflower seed		6400
Soyabean	Yellow	4300
Sesamum		7830
Nigerseed		7287
Cotton	Medium Staple (Staple length (mm) of 24.5 - 25.5 and Micronaire value of 4.3 - 5.1)	6080
	Long Staple (Staple length (mm) of 29.5 - 30.5 and Micronaire value of 3.5 – 4.3)	6380

(Rishi Kant)
Deputy Economic Adviser (FE)
Tel. No. 23383798
15.06.2021

परि-12
(113)

Annexure XVIII

FAQ Specification of Kharif Pulses & Oilseeds

Fair Average Quality (FAQ) Grade Specifications of Arhar (Tur), Moong & Urad for procurement under Price Support Scheme (PSS)

Pulses shall have reasonably uniform size, shape and colour.
Pulses shall be sweet, clean, wholesome and free from moulds, weevils, obnoxious smell, discoloration, admixture of deleterious substances (including added colouring matter) and all other impurity except to the extent indicated in the schedule.

Sr. No	Special Characteristics	Maximum limits of tolerance (% by weight per qtl.) for FAQ
1.	Foreign matter	2
2.	Admixture	3
3.	Damaged pulses	3
4.	Slightly damaged pulses	4
5.	Immature and shrivelled pulses	3
6.	Weevilled pulses	4
7.	Moisture	12

1. Foreign matters include dust, stones, lumps of earth, chaff husks stem, straw or any other impurity including edible and non-edible seeds.
2. Admixture means any pulses other than the principal pulses.
3. Damaged pulses are those pulses that are internally/damaged or discoloured to such an extent that the damage or discolouration materially affects the quality of the pulses.
4. Slightly damaged pulses are those pulses that are superficially damaged or discoloured such damage or discolouration not materially affecting the quality of the pulses.
5. Immature and shrivelled pulses are those pulses that are not properly developed.
6. Weevilled pulses are those pulses that are partially or wholly bored or eaten by weevil or other grain insects.

Scanned with OKEN Scanner

Fair Average Quality (FAQ) Grade Specifications of Groundnut-in-shell for procurement under Price Support Scheme (PSS)

Sr. No	Special Characteristics	Maximum limits of tolerance (% by weight per qtl.) for Bold FAQ	Ginny FAQ
1.	Foreign matter	2	2
2.	Damaged Pods	2	2
3.	Shrivelled & immature pods	4	4
4.	Pods of other varieties	4	4
5.	Shelling (kernels/pods)	65 & above	70 & above
6.	Moisture content	8	8

Definitions:

1. Foreign matters mean dust, dirt, stones, lumps of earth, chaff, stem/straw or any other impurity;
2. Damaged pods are those pods that are damaged mechanically or by mould, weevil or any other insect attack or those showing internal discolouration of kernels materially affecting the quality of the pods;
3. Shrivelled & immature pods are those pods which are imperfectly develop d;
4. Pods of other varieties means pods of unknown varieties other than is being procured;
5. Shelling means per cent of kernels recovered from Groundnut pods.

Scanned with OKEN Scanner

Fair Average Quality (FAQ) Grade Specifications of Soyabean for procurement under Price Support Scheme (PSS)

Sr. No	Special Characteristics	Maximum limits of tolerance (% by weight per qtl.) for FAQ
1.	Foreign matter & impurities	2
2.	Shrivelled, immature beans & discoloured	5
3.	Damaged & Weevilled beans	3
4.	Mechanically damaged beans (Split, broken & crack)	15
5.	Moisture content	12

Definitions:

1. Foreign matters & impurities includes dust, dirt, stones, lumps of earth, chaff, stem/straw or any other impurity;
2. Shrivelled & immature beans that are shrunk, out of shape, or are not fully matured or developed and are often discoloured;
3. Damaged & weevilled beans means beans or pieces of these which have sprouts or are internally damaged as a result of heat, moisture, insect of microbial action;
4. Mechanically damaged beans means the split, broken and crack seeds.

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-15

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD, JAIPUR-302 001

क्रमांकःफा./ई-बिड/लेखा/2022-23/ 5244-5308

दिनांकः 28/4/22

उप/सहायक पंजीयक,
सहकारी समितियाँ,
....

विषयः-वित्तीय वर्ष 2022-23(अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य की दरों के निर्धारण/प्रक्रिया बाबत दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजफैड द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 (अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) में समर्थन मूल्य पर नेफैड के लिये दलहन/तिलहन की खरीद की जानी है। इसके अन्तर्गत हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य के लिये फर्मो/आवेदकों/ठेकेदारों एवं दरों का निर्धारण किया जाना है। राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार हैण्डलिंग एवं परिवहन व्यवस्था हेतु क्रय-विक्रय सहकारी समिति स्तर पर जिले के उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ के अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से ई-बिड प्रक्रिया सम्पन्न की जानी है।

राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनसुर हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य के लिये समस्त उप/सहायक पंजीयक सहकारिता द्वारा जिलें की सम्बंन्धित समितिवार ऑन-लाईन द्वि-लिफाफा बिड प्रणाली (टू-बिड) के अनुसार ई-बिड जारी की जावें। हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य के लिये दर प्राप्ति एवं प्रक्रिया निम्नानुसार की जानी होगी :-

हैण्डलिंग कार्य :

मंडी में खरीद की जाने वाली जिन्सों में निम्न मदो के हैण्डलिंग कार्य कराये जाते है :-

अ-कृषक स्तर के कार्य

कृषक के वाहन से जिन्स उतारना, छनाई/ग्रेडिंग कराना, कट्टे में भरना एवं कट्टे को कांटे पर रखना।

ब-समिति स्तर के कार्य

इसमें रंग मार्का, विवरण का टैग, यथासंभव मशीन से सिलाई, स्टेक लगाना, तुलाई, उतराई, ट्रक में लोडिंग करना आदि के व्यय (अधिकतम 10 प्रतिशत व्यय) सम्मिलित है। हैण्डलिंग कार्य के लिए आधार दर सम्बन्धित कृषि उपज राजकीय मंडी की दर होगी। ई-बिड में प्राप्त दरें तथा खरीद केन्द्र से सम्बन्धित राजकीय कृषि उपज मंडी समिति की दरों जो भी कम हो वही दर मान्य होगी। हैण्डलिंग कार्य में मंडी दर आधार दर से 10 प्रतिशत कम तक ही दर की बिड स्वीकार होगी। इस सीमा से कम दर की हैण्डलिंग कार्य की निविदा स्वीकार नहीं होगी। हैण्डलिंग कार्य के लिए बिड में प्राप्त दर तथा सम्बन्धित राजकीय कृषि उपज मंडी की दर दोनो में जो भी दर कम हो वह दर मान्य होगी।

परिवहन कार्य ::

II. परिवहन कार्य :

2.01 परिवहन कार्य हेतु क्रय किये गये दलहन/तिलहन परिवहन के लिए आधार दर इकजाई पीडीएस दर (26.39 रू. प्रति क्विं.) होगी। बिड में प्राप्त दर, परिवहन की आधार दर से न्यूनतम 10 प्रतिशत कम की सीमा तक मान्य होगी। निविदादाता द्वारा इस सीमा से कम दर पर दी गई दरें अव्यवहारिक होने से अमान्य होगी। यदि निविदा में एल-1 निविदादाता द्वारा हैण्डलिंग आधार दर व पीडीएस आधार दर के बराबर दर दी जाती है तो इन आधार दर

फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

RAJFED

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

पर प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। यदि बिड में पीडीएस आधार दर से अधिक दरें प्राप्त होती है तो निर्धारित कमेटी द्वारा एल-1 बिडदाता से नेगोसियेशन किया जा सकेगा।

नेगोसियेशन पश्चात समिति द्वारा यदि नेगोशिएटेड दरें पीडीएस आधार दर से 20 प्रतिशत अधिकतम तक सीमा में निश्चित होती है तो निविदा समिति की अनुशंसा के आधार पर सम्बन्धित जिला कलेक्टर की स्वीकृति व अनुशंसा सहित प्रकरण राजफैड मुख्यालय को प्रेषित किये जायेगे। जिसे नेफैड हेतु स्वीकृति को प्रेषित किया जायेगा। कतिपय विशिष्ट प्रकरणों में राजफैड मुख्यालय द्वारा पीडीएस आधार दर से अधिक दरों की स्वीकृति प्रमुख शासन सचिव,सहकारिता एवं कृषि उद्यानिकी विभाग,राज्य सरकार से अनुमति Case to Case Basis आधार पर ली जाकर नेफैड की स्वीकृति हेतु प्रेषित की जायेगी।

ई-बिड में हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य हेतु प्राप्त दरें (दोनों) न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम की सीमा तक ही स्वीकार की जायेंगी। पूर्व में ऐसा देखने में आया है कि कतिपय ठेकेदार बिड को खराब करने के लिए बहुत कम दर भरते है तथा बाद में उक्त पर कार्य भी नहीं करते है। निविदा में आधार दरों (हैण्डलिंग एवं परिवहन) से 10 प्रतिशत से कम न्यूनतम दर अंकित करने वाली निविदा आरंभतः शून्य होगी। निविदा में प्राप्त दर व आधार दर में अंतर (10 प्रतिशत की सीमा तक) के प्रकरण में अनुमोदित संवेदक से इस अंतर की अतिरिक्त प्रतिभूति प्राप्त की जायेगी।

उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित उप/सहायक पंजीयक,सहकारिता द्वारा जिलें की समितिवार ई-बिड के माध्यम से दो लिफाफा बिड प्रणाली के अन्तर्गत प्रवृत्त दिशा-निर्देशों व निविदा प्रपत्र सहित आर.टी.पी.पी. एक्ट एवं नियमों के अनुसार बिड जारी की जानी होगी।

राज्य के विभिन्न क्रय केन्द्रों के लिये हैण्डलिंग एवं परिवहन के कार्यो हेतु रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के पत्र क्रमांक 15(27)संविरा/मार्के/स.मू.चना/सरसों/2018-19 दिनांक 28.03.2018 द्वारा राज्य के विभिन्न क्रय केन्द्रों के लिये हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य की बिड खोलने एवं अन्तिम रूप दिये जाने हेतु निम्न कमेटी गठित है :-

सम्बन्धित इकाई का उप पंजीयक	-	अध्यक्ष
जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि	-	सदस्य
सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड/प्रतिनिधि	-	सदस्य
नेफैड का प्रतिनिधि	-	सदस्य
सम्बन्धित व्यवस्थापक ,क्र.. वि.स.स.	-	सदस्य सचिव

उक्त कमेटी की अनुशंसा पर सम्बन्धित फर्म/आवेदक/ठेकेदार को कार्य आदेश संम्बन्धित क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा दिया जावेगा। फर्म /आवेदक/ठेकेदारों की ब्लैकलिस्टेड की सूची एवं निविदा प्रपत्र राजफैड की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त निविदा प्रपत्र शर्तो में वर्णित इस बाबत घोषणा पत्र की पालना आवश्यक करावें।

समर्थन मूल्य पर हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य के लिए बिना निविदा कार्यवाही कराये दरों के अनुमोदन का कोई प्रस्ताव उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार की समिति द्वारा न तो स्वीकृति के लिए राजफैड मुख्यालय को भेजा जायेगा और न ही बिना निविदा कार्यवाही कोई दर स्वीकृत की जायेगी। जहॉ दो बार खुली ई-निविदा आमंत्रित करने के बाद निविदा प्राप्त नहीं होती है तो वहॉ कारण अंकित करते हुये उप/सहायक रजिस्ट्रार,सहकारिता स्तर की निविदा समिति द्वारा सम्बन्धित जिला कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कर हैण्डलिंग कार्य मण्डी दर पर और परिवहन कार्य पीडीएस दर पर निविदा शर्तो के अनुसार पात्रता रखने वाले स्थानीय संवेदकों से सीमित निविदा/कोटेशन प्रक्रिया से

2/3

Scanned with OKEN Scanner

GST No.: 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

RAJFED

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

भी कराया जा सकेगा। सभी संबंधितो के लिए निविदा शर्तो और दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। ऐसे समस्त प्रकरणों बाबत सूचना तत्समय राजफैड मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों को दी जानी आवश्यक होगी। कतिपय विशिष्ट प्रकरणों में राजफैड मुख्यालय द्वारा पीडीएस आधार दर से अधिक दरों की स्वीकृति प्रमुख शासन सचिव,सहकारिता एवं कृषि,राजस्थान सरकार की अनुमति Case to Case Basis आधार पर ली जाकर नेफैड की स्वीकृति हेतु प्रेषित की जायेगी।

क्रय विक्रय सहकारी समिति व ग्राम सेवा सहकारी समिति के बीच भी दिशा निर्देशों व निविदा शर्तो की पालना के लिए अनुबंध/सहमति पत्र सम्पादित किया जावेगा जिसकी प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध करवा जावेगी।

किसी संशय अथवा समस्या के उत्पन्न होने की स्थिति में राजफैड मुख्यालय से दिशा–निर्देश प्राप्त करें,ताकि सभी जगह एकरूपता बनी रहें।

दिनांक 15 मार्च 2022 से रबी 2022 की खरीद प्रक्रिया प्रारम्भ होना प्रस्तावित है। अतः 15 मार्च 2022 तक बिड प्रक्रिया पूर्ण कर हैण्डलिंग एवं परिवहन की दरें निर्धारित कर सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को कार्य आदेश जारी किए जाना सुनिश्चित कर अवगत करावें।

निविदा कार्य समय पर पूर्ण हो इस हेतु प्रमुख शासन सचिव की ओर से एक पत्र पृथक से सम्बन्धित जिला कलेक्टर एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता को प्रेषित कर दिया गया है।

समस्त उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारिता अपने अधीनस्थ खरीद केन्द्र के क्षेत्राधिकार वाली राजकीय कृषि उपज मंडी दरों का विवरण निविदा पूर्व ही हैण्डलिंग आधार दर निर्धारण बाबत प्राप्त कर लेवें।

पत्र के साथ ही सक्षम स्तर से अनुमोदित निविदा प्रपत्र शर्तो इत्यादि संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। आप अपने क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड से अविलम्ब सम्पर्क व सहयोग प्राप्त कर उक्त कार्य सम्पादित करावें।

यह दिशा–निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

28/2/2022

वित्तीय सलाहकार
एवं महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख शासन सचिव एवं प्रशासक,राजफैड एवं सहकारिता विभाग,जयपुर।
2– रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ,राजस्थान,जयपुर।
3– निजी सचिव,प्रबन्ध संचालक,राजफैड,जयपुर।
4– अतिरिक्त रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ,अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/जयपुर/उदयपुर/भरतपुर।
5– महाप्रबन्धक(वाणिज्य) राजफैड,जयपुर।
6– शाखा प्रबन्धक,नेफैड,जयपुर।
7– क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड–अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर/श्रीगंगानगर/जयपुर/उदयपुर।

28/2/2022

वित्तीय सलाहकार
एवं महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

परिशिष्ट-16

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

RAJFED

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांकःफा./लेखा/2022-23/5309-5344 दिनांकः 28/2/22

जिला कलेक्टर,
समस्त।

विषयः-वर्ष 2022-23 के लिए रबी व खरीफ(दोनों) सीजन के लिए समर्थन मूल्य पर जिंस खरीद हेतु हैण्डलि एवं परिवहन की निविदा समय पूर्व करने बाबत।

जैसा कि विदित है कि हर वर्ष की भाँति इस वर्ष 2022-23 में भी भारत सरकार के निर्देशानुसार नेफैड/एफ.सी.आई. के लिए रबी व खरीफ सीजन के लिए जिंसों की खरीद की जानी हैं। अतः यह निर्णय हुआ है कि ह वर्ष की भाँति वर्ष 2022-23 में भी सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांकः 15(27)सविरा/मार्के/स.मू. चना सरसों/2018-19 दिनांक 28.03.2018 के अनुसार उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान सरकार द्वार निविदा प्रक्रिया सम्बन्धित जिला कलेक्टर की देख रेख में उक्तानुसार प्रवृत्त दिशा-निर्देशों व निविदा शर्तो के अनुसा यह कार्य (अल्पकालीन निविदा) दिनांक 25.03.2022 तक सम्पूर्ण किया जावें।

अतः आपके अधीन सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ को निर्देशित कर सुनिश्चित करावे कि उनके द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित उक्त निविदा कार्यवाही समय पर पूर्ण कर ली जावें।

संबंधित समस्त उप/सहायक, रजिस्ट्रारगण को राजफैड मुख्यालय द्वारा प्रवृत्त दिशा-निर्देश, निविदा प्रपत्र व शर्तें आदि प्रेषित किए जा चुके हैं।

भवदीय,

(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव
सहकारिता विभाग एवं प्रशासक
राजफैड

प्रतिलिपिः-

1- रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ, राजस्थान-जयपुर।
2- मुख्य सर्तकता अधिकारी एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मार्के),सहकारी समितियाँ, जयपुर को भेजकर लेख है कि आपके अधीन सभी उपरजिस्ट्रार,सहकारी समितियों को दिनांक 25.03.2022 तक निविदा कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश जारी करें।

प्रबन्ध निदेशक,
राजफैड

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-17

17

No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX : 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांक: 5993-6052

दिनांक: 15.03.2022

संशोधन सूचना

वित्तीय वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन निविदा के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश व निविदा प्रपत्र की तकनीकी संख्या-2 में बिन्दु संख्या: 6 में संशोधन किया जाता है :-

बिन्दु 6-बिड में दोनों कार्यो की सम्मिलित प्राक्कलित मूल्य की 2 प्रतिशत (अर्नेस्ट मनी) राशि सम्बन्धित क्रय-विक्रय सहकारी समिति,.....................के बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा करा दी गई है तथा RTGS/NEFT की फोटो प्रति अपलोड कर दी गई है। मूल RTGS/NEFT राशि रसीद सम्बन्धित क्रय-विक्रय सहकारी समिति में बिड खोलने के समय से पूर्व जमा करा दी गई है। मेरे द्वारा बिड में सफल होने पर अनुमानित कार्य लागत की 5 प्रतिशत कार्य निष्पादन प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी के समायोजन पश्चात) कार्य निष्पादन से पूर्व जमा करा दी जावेगी।

संशोधित शर्त/बिन्दु :6

वित्त विभाग,राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 18.12.2020 व 12.01.2022 के क्रम में कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि का प्रावधान 5 प्रतिशत के स्थान पर 2.50 प्रतिशत रखा गया है। अतः समस्त उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ सुनिश्चित कर लेवें कि दिशा-निर्देश व निविदा प्रपत्र में जहाँ-जहाँ 5 प्रतिशत कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि अंकित की हुई है वहाँ 2.50 प्रतिशत कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पढ़ा जावे एवं अनुमोदित निविदादाता से तदनुसार ही कार्य निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त की जावें।

प्रबन्ध निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-18

08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX : 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD, JAIPUR-302 001

क्रमांकःफा./लेखा/2022-23/6308-6409 दिनांकः 29.3.22

उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
....

विषयः-वित्तीय वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य की दरों के निर्धारण/प्रक्रिया में संशोधन करने बाबत।

प्रसंगः-इस कार्यालय के पत्र क्रमांकः 5249-5308 दिनांक 28.02.2022

विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र से जारी ई-निविदा प्रपत्रों की शर्त संख्या 8 व चैक लिस्ट संख्या 9 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। अतः निविदा प्रपत्र की शर्त संख्या 8 व चैक लिस्ट संख्या 9 को अब यह पढ़ा जावें :-

"संवदेक का गत पॉच वर्षो में टर्नओवर प्रतिवर्ष न्यूनतम रू. 70.00 लाख हो जिसमें लगातार अन्तिम तीन वर्षो का न्यूनतम 50.00 लाख रू. का टर्नओवर खाद्यानों के परिवहन व हैण्डलिंग कार्य से हुआ हो। टर्नओवर पुष्टि हेतु सनदी लेखाकार से प्रमाणित लेखें (व्यापार खाता, लाभ-हानि खाता, बेलेन्स शीट) के आधार पर सनदी लेखाकार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।"

उक्त यह संशोधन उन्ही निविदा प्रकरणो में लागू होगे जहाँ पूर्व में निविदा कार्यवाही में निविदा प्राप्त नहीं हुई हो, या वार्षिक रू. 1.00 करोड़ की टर्नओवर शर्त के कारण निविदा कार्यवाही असफल रही हो, जहाँ पूर्व की निविदा कार्यवाही में निविदा प्रक्रिया द्वारा दर अनुमोदित हो चुकी है। उनमें यह संशोधन लागू नहीं होगा।

अन्य शर्ते यथावत है। यह संशोधन सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सुषमा अरोड़ा)
प्रबंन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः-

1- प्रमुख शासन सचिव व प्रशासक,राजफैड एवं सहकारिता विभाग,जयपुर।
2- रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ,राजस्थान-जयपुर।
3- जिला कलेक्टर,......................................
4- अतिरिक्त रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ-अजमेर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर/जयपुर/भरतपुर/उदयपुर।
5- महाप्रबन्धक(वाणिज्य),राजफैड-जयपुर।
6- शाखा प्रबन्धक,नेफैड-जयपुर।
7- क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड-अजमेर/बीकानेर/भरतपुर/कोटा/जयपुर/ जोधपुर/श्रीगंगानगर/उदयपुर।

प्रबन्ध निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट – 19 (35)

फोन/Phone : 0141-2740291, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

AAAAR0279B1ZU

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांकःफा. /लेखा/2022–23/1115–1165 दिनांकः 30.5.22

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
समस्त राजफैड

विषयः–रबी 2022 में समर्थन मूल्य पर खरीद किये गये जिन्सों के हैण्डलिंग एवं परिवहन बिलों को प्रेषित करने एवं पुनर्भरण के सम्बन्ध में।

प्रसंगः–मुख्यालय मार्केटिंग शाखा से जारी निर्देश 13100–13450 दिनांक 31.03.2022 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में लेख है कि रबी 2022 में समर्थन मूल्य पर चना व सरसों इत्यादि की खरीद दिनांक 30.06.2022 को समाप्त हो रही है। आपका ध्यान मुख्यालय मार्केटिंग शाखा से जारी दिशा–निर्देश क्रमांकः 13100–13450 दिनांक 31.03.2022 के बिन्दु संख्या 23 व 24 की ओर आकृष्ट किया जाता हैं।

1-- हैण्डलिंग एवं परिवहन के बिलों से सम्बन्धित सभी क्षेत्रीय कार्यालय, राजफैड द्वारा समितिवार बिल संकलित कर नियमित रूप से हर 15 दिवस में भिजवाये जाने थे, जिससे नैफैड से समय पर इन मदों की पुनर्भरण प्राप्ति होकर हैण्डलिंग एवं परिवहन व्ययों का समितियों व संवेदकों को भुगतान हो सकें। उल्लेखनीय है कि आप द्वारा यदि 15 दिवस में बिल पुर्नभरण हेतु नहीं भिजवाये गये हैं तो कारण सहित अब समस्त व्ययों के बिल एकत्र कर 31.05.2022 तक महाप्रबन्धक,वाणिज्य के माध्यम से नैफेड को प्रस्तुत करावें। जिससे नेफैड से इस सीजन में हुई खरीद के हैण्डलिंग एवं परिवहन सहित अन्य व्ययों का पुनर्भरण शीघ्र प्राप्त किया जाकर संबंधित संवेदको/समिति को पुनर्भरण का भुगतान किया जा सके।

2– प्रवृत्त दिशा–निर्देशों के अनुसरण में खरीद बन्द होने के एक माह में समस्त क्रय की गयी जिन्सों को गोदामो में जमा कर आर.एस.डब्ल्यू.सी./सी.डब्ल्यू.सी. रसीद प्राप्त कर महाप्रबंधक (वाणिज्य) को मुख्यालय, राजफैड को सूचित करें।

3-- क्षेत्रीय अधिकारी दावों संबंधी बिलों को प्रधान कार्यालय भिजवाने से पूर्व संबंधित सदस्य क्रय–विक्रय सहकारी समिति को हैण्डलिंग एवं परिवहनकर्ता संवेदक द्वारा भुगतान दावे हेतु प्रस्तुत मूल बिल की प्रमाणित प्रति सभी समितियों से प्राप्त कर संलग्न करेगें। तथा क्रय–विक्रय सहकारी समिति का इस आशय का प्रमाण–पत्र कि "संवेदक द्वारा प्रस्तुत बिल की न्यूनतम दर एवं दूरी से जॉच कर ली गयी है तथा जॉच उपरान्त सही पाया गया" भी प्राप्त कर संलग्न करेगें। सभी क्षेत्रीय अधिकारी व समिति सुनिश्चित करेगे कि ये बिल यथा संशोधित व अनुमोदित मूवमेंट प्लान के अनुसार ही प्रेषित किये गये हैं।

4– सभी क्षेत्रीय कार्यालय समितियों से दावों के बिल प्राप्त करते समय निम्न बिन्दुओं का अवश्य ध्यान रखें :–

(1) हैण्डलिंग एवं परिवहन के बिल राजफैड/नेफैड द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं निर्धारित प्रारूप में ही प्राप्त करें।

Contd...

Scanned with OKEN Scanner

08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

(35)

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

(2) सदस्य समिति द्वारा प्रथम बिल के साथ निविदा कमेटी की दर स्वीकृति करने संबंधी अनुशंसा की प्रति एवं समिति द्वारा जारी कार्य आदेश की प्रति बिल के साथ संलग्न अवश्य प्राप्त करें।

5– जिन सदस्य समितियों की शोंटज एवं अन्य गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हो तो उन प्रकरणों में भुगतान करने/न करने को बाबत अपनी स्पष्ट अनुशंसात्मक टिप्पणी प्रकरण निस्तारण हेतु उपलब्ध करावें।

6– यदि हैण्डलिंग व परिवहनकर्ता संवेदक से किसी भी प्रकार की वसूली अपेक्षित हो तो उसका आधार व कटौती/वसूली राशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए भुगतान के करने अथवा रोके जाने बाबत अनुशंसा सहित प्रकरण बिल के साथ प्रेषित करावें।

7– सदस्य समिति के विरूद्ध कोई बकाया हो तो उसका उल्लेख संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पृथक से पूर्व विवरण व पृष्ठ भूमि सहित बिल के साथ आवश्यक रूप से प्रेषित किया जावें।

8– सभी क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय स्तर बिलों के प्रमाणको/सम्बन्धित दस्तावेजों की जॉच करने के पश्चात ही बिल राजफैड मुख्यालय में निर्धारित तिथि 31.05.2022 तक बिल के साथ आवश्यक रूप से भिजवावे।

9– रबी 2022 की खरीद शीघ्र समाप्त हो रही है। आपसे अपेक्षा है आप द्वारा निर्धारित अवधि में समितियों से हैण्डलिंग एवं परिवहन बिल प्राप्त कर पाक्षिक रूप से नेफैड को प्रस्तुत कर दिये गये होगें।

10– यदि अभी भी आप द्वारा रबी व खरीफ 2021–22 के हैण्डलिंग एवं परिवहन सहित अन्य मदों के दावों के बिल समितियों से प्राप्त कर नेफैड को पुनर्भरण हेतु प्रस्तुत नहीं किये हो तो दिनांक 31.05.2022 तक कारण सहित मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्त कर नेफैड को भिजवावे।

Sd
(उर्मिला राजोरिया)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः–

1– निजी सचिव,प्रबन्ध निदेशक महोदया,राजफैड–जयपुर।
2– महाप्रबन्धक(वाणिज्य/कृषि आदान/मा.स.वि),राजफैड–जयपुर।
3– समस्त उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार को अपने अधीन सम्बन्धित समितियों से पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।

वित्तीय सलाहकार एवं
महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा)

Scanned with OKEN Scanner

परि - 20

08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांकःफा./लेखा/2022-23/1532-74 दिनांकः 17.6.22

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
समस्त राजफैड।

विषयः-रबी 2022 में समर्थन मूल्य पर खरीद किये गये जिन्सों के हैण्डलिंग एवं परिवहन बिलों को प्रेषित करने एवं पुनर्भरण के सम्बन्ध में।

प्रसंगः-इस शाखा का पूर्व पत्र क्रमांकः 1115-1165 दिनांक 30.05.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा आपको रबी 2022 में समर्थन मूल्य पर चना व सरसों इत्यादि की खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन चार्जेज बिल 15 दिवस में बिल पुनर्भरण हेतु भिजवाने के निर्देश जारी किये गये थे जिससे नेफैड द्वारा इस सीजन में खरीद के हैण्डलिंग एवं परिवहन सहित अन्य व्ययों के पुनर्भरण शीघ्र प्राप्त किया जाकर संबंधित संवेदक/समिति शीघ्र भुगतान किया जा सकें।

परन्तु अभी तक किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नेफैड को बिल प्रस्तुत करने की कोई सूचना (हैण्डलिंग एवं परिवहन) शाखा को प्रेषित नहीं की गई। रबी 2022 खरीद शीघ्र समाप्त होने जा रही है।

आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि रबी 2022 में समर्थन मूल्य पर खरीद के हैण्डलिंग एवं परिवहन संबंधी बिल/क्लेम बाबत वाणिज्य शाखा के पत्रांक 13100-13450 के बिदु संख्या 23-24 व उक्त पत्र के अनुसरण में समय पर कार्यवाही होना सुनिश्चित करे।

(उर्मिला राजोरिया)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः-

1- निजी सचिव,प्रबन्ध निदेशक महोदया,राजफैड-जयपुर।
2- महाप्रबन्धक(वाणिज्य/कृषि आदान/मा.स.वि),राजफैड-जयपुर।
3- समस्त उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार को अपने अधीन सम्बन्धित समितियों से इसकी पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।

वित्तीय सलाहकार एवं
महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा)

Scanned with OKEN Scanner

पारि.- 21 (34) 5/12/2018 (21)

08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांक:फा. / लेखा / 2022-23 / 1202-1255 दिनांकः 13.7.22

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
समस्त राजफैड।

विषयः-रबी 2022 में समर्थन मूल्य पर खरीद किये गये जिन्सों के हैण्डलिंग एवं परिवहन बिलों को प्रेषित करने व पुनर्भरण के संबंध में।
प्रसंगः-पूर्व पत्र क्रमांक 1115-1165 दिनांक 30.05.2022 व 1532-1534 दिनांक 17.06.2022

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र 1115-1165 दिनांक 30.05.2022 एवं 1532-1534 दिनांक 17.06.2022 से आपको रबी 2022 में समर्थन मूल्य खरीद अन्तर्गत सरसों व चना इत्यादि की खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन चार्जेज बिल 15 दिवस में बिल पुनर्भरण भिजवाने हेतु दिशा-निर्देश दिये गये थे। जिसे नेफैड द्वारा इस सीजन के खरीद के हैण्डलिंग एवं परिवहन सहित व अन्य व्ययों के पुनर्भरण शीघ्र प्राप्त किया जाकर संबंधित संवेदक/समिति को शीघ्र भुगतान किया जा सकें। परन्तु अभी तक किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नेफैड को बिल प्रस्तुत करने की कोई भी सूचना (हैण्डलिंग एवं परिवहन) शाखा को प्रेषित नहीं की गई है।

रबी वर्ष 2022 की खरीद 29.06.2022 को समाप्त हो चुकी है। अभी भी आप द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं किये गये है तो शीघ्र ही नेफैड को बिल प्रस्तुत करावें। यदि अब किसी प्रकार की देरी होती है या राजफैड को किसी भी प्रकार की हानि होती है तो आप इसके लिए स्वंय उत्तरदायी होगे।

Sd
(उर्मिला राजोरिया)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः-
1- निजी सचिव,प्रबन्ध निदेशक महोदया,राजफैड-जयपुर।
2- महाप्रबन्धक(वाणिज्य / कृषि आदान / मा.स.वि),राजफैड-जयपुर।
3- समस्त उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार को अपने अधीन सम्बन्धित समितियों से इसकी पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।

वित्तीय सलाहकार एवं
महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा)

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट - 22

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

...08AAAAR0279B1ZU

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांकःफा. / लेखा / 2022-23 / 1548 - 1630 दिनांकः 4.8.22

उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
..............................।

विषयः-वर्ष 2022 (में समर्थन मूल्य पर खरीफ 2022) में मूंगफली क्रय हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य की दरों का निर्धारण करने बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन क्रय हेतु (01.04.2022 से 31.03.2022) हैण्डलिग एंव परिवहन कार्य की दरों के निर्धारण हेतु 28.02.2022 को दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

संलग्न विवरण के अनुसार पाया गया कि वर्ष 2022-23 मे मूंगफली क्रय हेतु कुछ जिलों में उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ द्वारा जारी की निविदाओं में हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य की दरों के निर्धारण हेतु निविदाऐं आमंत्रित नहीं की गई थी।

निकट भविष्य में खरीफ 2022 में मूंगफली की समर्थन मूल्य पर शीघ्र ही खरीद प्रारम्भ होने वाली है। अतः पूर्व में जारी दिशा-निर्देश 28.02.2022 के अनुसार व प्रवृत्त क्रय नियमों के अनुसार हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य की दरों के निर्धारण हेतु शीघ्र ही निविदा कार्यवाही प्रारम्भ कर राजफैड मुख्यालय को मिटिंग कार्यवाही विवरण/निविदा कार्यवाही विवरण/बी.ओ.क्यू./नवीनतम मंडी दरें शीघ्र भिजवावे। जिससें नेफैड से दरें स्वीकृत कराई जा सकें।

(उर्मिला राजोरिया)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

परि.-23 (283)

AAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

परिशिष्ट-23

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांकःफा./लेखा/2022-23/ 2237-2372 दिनांकः 15.9.22

उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार
सहकारी समितियाँ,
कोटा संभाग (खं)

विषयः-वर्ष 2022 (समर्थन मूल्य पर खरीफ 2022) में मूंगफली क्रय हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य की दरों का निर्धारण करने बाबत।

प्रसंगः-इस कार्यालय के दिशा-निर्देश पत्रांक 1548-1630 दिनांक 04.08.2022 के क्रम में।

विषयान्तर्गत वर्ष 2022 (समर्थन मूल्य पर खरीफ 2022) में मूंगफली क्रय हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य की दरों का निर्धारण करने बाबत इस कार्यालय के पूर्व दिशा-निर्देश 28.02.2022 व 1548-1630 दिनांक 04.08.2022 जारी कर निविदा संबंधीं अनुपालना/प्रगति चाही गई थी। परन्तु एक माह पश्चात भी किसी भी उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार द्वारा अभी तक कोई प्रगति रिपोर्ट/अनुपालना रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई है।

संलग्न विवरण के अनुसार पाया गया कि वर्ष 2022-23 में मूंगफली क्रय हेतु कुछ जिलों में उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ द्वारा जारी की 'निविदाओं में हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य की दरों के निर्धारण हेतु निविदाऐं आमंत्रित नहीं की गई थी।

निकट भविष्य में खरीफ 2022 में मूंगफली की समर्थन मूल्य पर शीघ्र ही खरीद प्रारम्भ होने वाली है। अतः पूर्व में जारी निविदा संबंधी 28.02.2022 व 29.03.2022 को जारी दिशा-निर्देश के अनुसार व प्रवृत्त क्रय नियमों के अनुसार हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य की दरों के निर्धारण हेतु शीघ्र ही शेष रहे केन्द्रों हेतु निविदा कार्यवाही प्रारम्भ कर राजफैड मुख्यालय को मिटिंग कार्यवाही विवरण/निविदा कार्यवाही विवरण/बी.ओ.क्यू./नवीनतम मंडी दरें इत्यादि पूर्ण विवरण सहित शीघ्र प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। जिससें नेफैड से दरें क्रय प्रक्रिया पूर्ण समय रहते स्वीकृत कराई जा सकें।

समय पर दरें स्वीकृत नहीं होने के कारण मूंगफली खरीद 2022 (खरीफ)में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है तो समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वंय की होगी।

(उर्मिला राजोरिया)
प्रबन्ध निदेशक
13.9.22

प्रतिलिपिः-

1- रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ,राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि श्रीमान स्तर से भी उनके अधीन समस्त उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ को अपने स्तर से निर्देश जारी करने का श्रम करावें।
2- निजी सचिव,प्रबन्ध निदेशक महोदया,राजफैड-जयपुर।
3- निजी सचिव,जिला कलक्टर,......33 (कोटा संभाग)......
4- क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड (8)......... अपने अधीनस्थ जिलो व सदस्य समितियों बाबत वस्तुस्थिति से मुख्यालय को दिनांक 27.09.2022 तक अवगत करावें।
5- महाप्रबन्धक(वाणिज्य),राजफैड-जयपुर।

14/9/2022
वित्तीय सलाहकार एवं
महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा)

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट- [illegible] 24

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

क्रमांक:सह/पी.एस.एस./2021-22/12957-13052

दिनांक ~~20~~.03.2022 29

कार्यालय आदेश

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत क्रय कृषि जिन्स के भण्डारगृह में भण्डारण के दौरान गुणवत्ता संबंधी विवाद निवारण हेतु गठित कमेटी दिनांक 06.04.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार 5 सदस्यीय कमेटी का गठन तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

1. सहायक कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार – अध्यक्ष
2. क्षेत्रीय अधिकारी राजफैड़ – सदस्य
3. वेयरहाउस (आर.एस.डब्ल्यू.सी.)/सी.डब्ल्यू.सी.) प्रतिनिधि – सदस्य
4. नेफेड प्रतिनिधि – सदस्य
5. संबंधित समिति व्यवस्थापक – सदस्य सचिव

गठित कमेटी द्वारा क्रय कृषि जिन्स की गुणवत्ता पर विवाद होने पर निम्न प्रक्रिया अपनायी जावे :-

1. सदस्य सचिव द्वारा कमेटी की बैठक का आयोजन किया जावेगा।
2. बैठक आयोजन के क्रम में नोटिस जारी किया जावेगा जिसमें तिथि, समय व विवाद विवरण का उल्लेख होगा।
3. बैठक में कमेटी के सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
4. वेयरहाउस व नेफेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा ही प्रतिनिधि नामित किये जा सकेंगे।
5. गुणवत्ता के क्रम में बहुमत से लिया गया निर्णय मान्य होगा।
6. क्रय कृषि जिन्स गुणवत्तायुक्त नहीं पाये जाने पर कारण का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
7. वेयरहाउस में गुणवत्तायुक्त कृषि जिन्स का ही भण्डारण किया जा सकेगा।
8. गठित कमेटी अन्यथा स्थिति यथा भंग या संशोधन न होने की स्थिति में यथावत कार्य करती रहेगी।
9. क्रय कृषि जिन्स की गुणवत्ता के क्रम में सदस्य कमेटी के मध्य मतांतर होने पर सभी सदस्यों के अभिमत कार्यवाही में अंकित किये जावें।
10. कमेटी की बैठक में सम्पन्न कार्यवाही से नेफेड व राजफैड को तत्काल अवगत कराया जावे।
11. कमेटी आवश्यक समझे तो संबंधित क्षेत्र के प्रगतिशील कृषकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकेंगे लेकिन विशेष आमंत्रित सदस्य को मताधिकार नहीं होगा।

(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट- 25

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.10(2)कृषि/ग्रुप–2/1975पार्ट

जयपुर, दिनांक 28 SEP 2022

अधिसूचना

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 40 ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लिमिटेड (राजफैड) के माध्यम से दलहन, तिलहन की खरीद समर्थन मूल्य पर किए जाने पर वर्ष 2022–23 के खरीफ सीजन में खरीद अवधि तक के लिए उक्त खरीद पर राज्य की मण्डी समितियों को देय मण्डी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क से छूट प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(नसीम खान)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री कृषि विपणन, (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विपणन विभाग।
6. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
7. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजफैड, जयपुर।
9. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग।
10. समस्त सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

Scanned with OKEN Scanner

समर्थन मूल्य पर खरीद खरीफ वर्ष 2022–23 का स्टॉक प्रमाण पत्र

दिनांक ....

क्र.स.	जिन्स	पूर्व की खरीद		आज दिनांक .... की खरीद		कुल खरीद		वेयर हाउस में जमा		समिति पिड पर समिति की कस्टडी में		कुल वेयर हाउस में जमा एवं समिति के पिड पर	
		कट्टे	वजन	कट्टे	वजन	कट्टे	वजन	कट्टे	वजन	कट्टे	वजन	कट्टे	वजन
1	2	3	4	5	6	7 (3+5)	8 (4+6)	9	10	11	12	13 (9+11)	14 (10+12)
1.	मूंग												
2.	उड़द												
3.	सोयाबीन												
4.	मूंगफली												
योग–													

Note Hansraj

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक प.6(13)प्र.सु./अनु.-3/2018 परि०-27

जयपुर, दिनांक 17.4.2018

–आज्ञा–

समर्थन मूल्य पर विभिन्न कृषि जिंसों की खरीद के सुचारू क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाता है–

(अ) राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर	अध्यक्ष
2	महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
4	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5	प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
6.	शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
7	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
8	प्रबन्ध संचालक, आरएसडब्लूसी, जयपुर	सदस्य
9	शाखा प्रबन्धक, नेफेड, जयपुर	सदस्य
10	प्रबन्ध संचालक, राज. रा. सह. बैंक लि.(अपेक्स बैंक), जयपुर	सदस्य
11	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सीडब्लूसी, जयपुर	सदस्य
12	प्रबन्ध संचालक, रा.रा.स.क्र.वि.स.लि.(राजफैड), जयपुर	सदस्य सचिव

(ब) समर्थन मूल्य पर खरीद की दिन प्रतिदिन की समस्याओं के निस्तारण एवं निगरानी हेतु राज्य समन्वय कमेटी

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर	अध्यक्ष
2	प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
3	महानिरीक्षक, पुलिस (लॉ एण्ड आर्डर) राजस्थान, जयपुर	सदस्य
	शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5	प्रबन्ध संचालक, रा.रा.स.क्र.वि.स.लि.(राजफैड), जयपुर	सदस्य
6	अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय), सहकारी समितियाँ, राज., जयपुर	सदस्य
7	अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मार्केट), सहकारी समितियाँ, राज., जयपुर	सदस्य
8	प्रबन्ध संचालक, राज. रा. सह. बैंक लि.(अपेक्स बैंक), जयपुर	सदस्य
9	अतिरिक्त निदेशक, कृषि, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
10	अधिशाषी निदेशक, आरएसडब्लूसी, जयपुर	सदस्य
11	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सीडब्लूसी, जयपुर	सदस्य
12	शाखा प्रबन्धक, नेफेड, जयपुर	सदस्य
13	मुख्य प्रबन्धक, वित्त, राजफैड, जयपुर	सदस्य
14	महाप्रबन्धक, वाणिज्य, राजफैड, जयपुर	सदस्य सचिव

२०

एवं निगरानी समिति

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	जिला कलक्टर, संबंधित जिला	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक, संबंधित जिला	सदस्य
3	अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां एवं प्रबंध प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड	सदस्य
4	जिला रसद अधिकारी, संबंधित जिला	सदस्य
5	निकटस्थ क्रय-विक्रय सहकारी समिति (के.वी.एस.एस.) का प्रमुख प्रतिनिधि	सदस्य
6	उप निदेशक, कृषि विभाग	सदस्य
7	प्रतिनिधि, आरएसडब्ल्यूसी / सीडब्ल्यूसी	सदस्य
8	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ	सदस्य सचिव

(ब) खरीद केन्द्र के स्तर पर समर्थन मूल्य की खरीद में आने वाली समस्याओं के सुगम निराकरण हेतु खरीद केन्द्र समन्वय एवं निगरानी समिति

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	संबंधित उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला रसद अधिकारी	सदस्य
3	उप पुलिस अधीक्षक / थाना इन्चार्ज (संबंधित)	सदस्य
4	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ	सदस्य
5	प्रतिनिधि आरएसडब्ल्यूसी / सीडब्ल्यूसी	सदस्य
6	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति	सदस्य
7	के सी एस एस / खरीद केन्द्र का व्यवस्थापक	सदस्य सचिव

उक्त समितियों का प्रशासनिक विभाग सहकारिता विभाग है।

आज्ञा से,

(डॉ0 प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव

2

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल / माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, सहकारिता मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त / कृषि विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
6. निजी सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव / उप शासन सचिव, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर।
11. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
12. समस्त कोषाधिकारी, संबंधित जिला।
13. समस्त उप / सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां।
14. प्रबंध संचालक आरएसडब्ल्यूसी / राजफैड / अपेक्स बैंक, जयपुर।
15. [illegible]

बैनर का प्रारूप

क्रय–विक्रय सहकारी समिति लि.....................जिला ....

किसान द्वारा वहनीय खर्चो की राशि समिति में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जावे।

समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली खरीफ वर्ष 2022–23 क्रय केन्द्र ....

समर्थन मूल्य दर मूंग– 7755/– रु. क्विंटल, उड़द 6300/– रु. क्विंटल, सोयाबीन–4300/– रु. क्विंटल, एवं मूंगफली–5850/–रु. क्विंटल

दलहन एवं तिलहन की एफ.ए.क्यू. किस्म के भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	मापदण्ड	दलहन (मूंग – उड़द)%	तिलहन (सोयाबीन – मूंगफली)%
1	विजातीय तत्व, धूल मिट्टी ग्रस्त		
2	अन्य अनाज दाने – जैसे तोरिया		
3	टूटे फूटे दाने		
4	मामूली कस से क्षतिग्रस्त व बदरंग		
5	अपरिपक्व एवं टूटे हुये सिकुड़े व कच्चे दाने		
6	अन्य किस्म व मिले हुये		
7	दबे हुये व घुने दाने		
8	नमी की मात्रा		

- कृपया कृषक अपनी फसल को साफ व सुखाकर उक्त मापदण्डों की किस्म ही विक्रय हेतु लावें। एफ.ए.क्यू. का दायित्व स्वंय कृषक को होगा।
- कृषक अपनी जिन्स के विक्रय हेतु जनआधार कार्ड, गिरदावरी मूल, बैंक पासबुक व रजिस्ट्रेशन साथ लावे।
- उपरोक्त बिन्दु 1 से 8 भारत सरकार द्वारा घोषित मापदण्डों की परिभाषा के अधीन स्वीकार्य सीमा तक मान्य है।

जिन्स छनाई से लेकर कांटे पर बोरी रखाई तक के किसान द्वारा वहनीय खर्चो की राशि का योग–

गतिविधि	दर प्रति कट्टा
1.उतराई	....
2. छनाई	....
3. भराई	....
4. कांटे पर रखाई	....

किसान द्वारा स्वयं सम्पन्न गतिविधी का चार्ज वसूल योग्य नहीं होगा।

व्यवस्थापक का नाम .... मोबाईल नम्बर ....

केन्द्र प्रभारी का नाम .... मोबाईल नम्बर ....

उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ...................... मोबाईल नम्बर ....

नाम......................

क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड़........................ मोबाईल नम्बर ....

राजफैड़ टोल फ्री नम्बर 18001806001

मेल आई.डी. rajfed@yahoo.com

NOTE 2022-23_S

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-29

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि0

क्रय केन्द्र का विजिट किये जाने हेतु विजिट रिपोर्ट प्रारूप

1. विजिटकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम ....

2. क्रय केन्द्र का नाम ....

3. विजिट किये जाने की दिनांक ....

4. विजिट दिनांक तक की गई कुल खरीद जमा एवं शेष (बैग्स की संख्या)

क्र.सं.	जिन्स का नाम	कुल खरीद(बैग्स)	जमा	शेष	विशेष विवरण
1					
2					
3					
4					

5. बटाईदार से खरीद का सत्यापन

क्र.सं.	जिन्स का नाम	बटाईदार कृषकों की संख्या जिनसे विजिट दिनांक .... तक खरीद की गयी है	विजिट दिनांक तक बटाईदार कृषकों से क्रय किए गए जिन्स के दस्तावेजों के सत्यापन की संख्या	यदि कोई असमानता पायी जाती है तो उसका स्पष्ट विवरण पृथक से संलग्न करे।
1				
2				
3				
4				

6. गुणवत्ता संबंधी मूल्यांकन

....

....

....

7. तौल संबंधी मूल्यांकन

....

....

....

Scanned with OKEN Scanner

8. बारदाने संबंधी मूल्यांकन

क्र.सं.	जिन्स का नाम	केन्द्र पर प्राप्त कुल बारदाना (संख्या)	उपयोग में लिया गया बारदाना (संख्या)	शेष बारदाना (संख्या)	विशेष विवरण
1					
2					
3					
4					

9. खरीद किये जा चुके माल की सुरक्षा हेतु किये गये प्रबंध

....

....

....

10. कृषकों की पहचान बाबत मूल्यांकन

....

....

....

11. रिजेक्शन संबंधी मूल्यांकन

....

....

....

12. क्रय केन्द्र की साफ–सफाई, रोशनी/पेयजल एवं कोविड–19 से संबंधित व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे एवं क्रय केन्द्र पर लगाये जाने वाले बैनर्स आदि की व्यवस्था तथा किसान से वसूली योग्य राशि अंकित करे। (बैनर्स की फोटो संलग्न करे)

....

....

....

....

Scanned with OKEN Scanner

13. तीन कृषकों से लिये गये बयान संलग्न करे एवं यदि कोई कृषकों की समस्या हो तो उसका विवरण देंवें।

....

....

....

14. केन्द्र पर खरीदे गए माल का उठाव/ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से हो रहा है अथवा नहीं का विवरण(आदेश/वर्कऑर्डर की फोटो प्रति सहित)

....

....

....

....

....

15 . विशेष विवरण ....

....

....

....

....

....

....

....

विजिट कर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

NOTE 2022-23_S

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-130

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX : 0141-2744810
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांक : वाणिज्य / 2020-21 / 15984-16384

दिनांक 09.11.2020

1. खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियां राजस्थान,
.... ।

2. उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
जिला.................................. ।

3. व्यवस्थापक / केन्द्र प्रभारी,
क्रय-विक्रय सहकारी समिति,
.... ।

विषय :- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की खरीद हेतु अधिकारियों / कार्मिकों के दायित्व निर्धारण बाबत।

प्रसंग :- राजफैड का पत्र क्रमांक 14671-14680 दिनांक 20.10.20

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की खरीद में राजफैड के साथ-साथ सहकारी विभाग, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों (सहकार कृषक मित्र) की मुख्य भूमिका होती है। खरीद हेतु समय-समय पर सहकारी विभाग एवं राजफैड द्वारा सरकार / नेफेड के निर्देशानुसार आदेश / निर्देश जारी किये जाते है ताकि किसानों से कृषि जिन्सों की खरीद सुगमता से एवं पारदर्शी तरीके से हो सके। खरीद संबंधी कार्यों को सुगमतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु दायित्वों का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है :-

24 **(अ) इकाई अधिकारी (जिले का उप रजिस्ट्रार) के दायित्व**

1. खरीद प्रारंभ होने से पूर्व कृषि जिन्सों के तहसीलवार बुवाई एवं उत्पादन के आंकडें जिला कलक्टर के माध्यम से भिजवाना।
2. खरीद प्रारंभ होने से पूर्व खरीद केन्द्रों की सूची एवं तहसीलवार मैपिंग की सूचना जिला कलक्टर के माध्यम से भिजवाना तथा खरीद केन्द्रों पर खरीद हेतु आधारभूत सुविधाऐं यथा पूर्णकालिक व्यवस्थापक, पर्याप्त स्टाफ, गोदाम की उपलब्धता, खरीद हेतु पक्का एवं कवर्ड प्लेटफार्म, इलक्ट्रोनिक कांटा, वैब कैमरा, कम्प्यूटर, प्रिंटर, बायोमैट्रिक मशीन, इनवर्टर एवं माल की सुरक्षा हेतु इंतजाम आदि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना।
3. खरीद प्रारंभ होने से पूर्व निर्धारित खरीद केन्द्रों के केन्द्र प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की एस.एस.ओ. आई.डी. राजफैड के दिशा-निर्देश अनुसार भिजवाना।
4. विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक क्रय-विक्रय सहकारी समिति में एक-एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदस्थापन सुनिश्चित करना। जहां एक क्रय-विक्रय सहकारी समिति के एक से अधिक खरीद केन्द्र है वहां पृथक से विभाग के कार्मिक को लगाना।
5. राजफैड द्वारा खरीद के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करना
6. खरीद के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने पर संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी से समन्वय कर उनका समाधान करना / करवाना तथा अनियमितताओं के संबंध में संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करना / कार्यवाही के निर्देश प्रदान करना।
7. खरीद के दौरान खरीद की गई जिन्सों का नियमित रूप से भण्डारण होना सुनिश्चित करना, बारदाना का खरीद के अनुपात में अनुमानित स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

letter had 2018-19

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 27400...
0141-2740364, 2740081...
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457...
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD
JAIPUR-302 001

8. खरीद के दौरान खरीद केन्द्रों का नियमित पर्यवेक्षण करना जिसमें प्रमुख रूप से जिन्सों की गुणवत्ता, निर्धारित वजन, कृषकों से टेण्डर के अनुसार निर्धारित मजदूरी राशि की वसूली सुनिश्चित करना एवं कृषकों के दस्तावेजों की रेण्डम चेकिंग करना।
9. भण्डारित जिन्सों की भण्डारण रसीदें राजफैड को भिजवाया जाना सुनिश्चित करना।

(ब) समिति मुख्य व्यवस्थापकों के दायित्व

1. समिति मुख्य व्यवस्थापक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की खरीद हेतु राजफैड द्वारा जारी खरीद निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित कराते हुए आवश्यक व्यवस्थाऐं करेगें ताकि खरीद सुगमता से ए[illegible] पारदर्शी तरीके से हो सके।
2. हैण्डलिंग एवं परिवहन के टेण्डर आमंत्रित करना।
3. मुख्य व्यवस्थापक समिति स्तर पर कृषकों से जिन्स क्रय करने से लेकर जिन्स वेयरहाउस में जमा करवाकर एफ.ए.क्यू. बिना रिमार्क की भण्डारण रसीद राजफैड में जमा कराना।
4. खरीद/हैण्डलिंग एवं परिवहन के बिल समय पर राजफैड़ में जमा कराने तक के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

(स) केन्द्र प्रभारी के दायित्व

1. राजफैड़ द्वारा खरीद हेतु कृषकों को भेजे गए संदेशों के प्राथमिकता के आधार पर पंजीकृत कृषकों से निर्धारित दस्तावेजों को चैक कर रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना, किसान से जिन्स की खरीद मात्रा का निर्धारण क्रय केन्द्र पर कृषक द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी की हार्ड कॉपी से मिलान के आधार पर तय करना।
2. निर्धारित रजिस्टर संधारित करना, बटाईदार कृषकों से खरीद के दस्तावेज एवं रिकॉर्ड पृथक से संधारित करना तथा राजफैड़ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार गिरदावरी चैक कर गिरदावरी सत्यापित करना।
3. कृषकों से निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुसार जिन्स क्रय करना, नॉन एफ.ए.क्यू. जिन्सों का कारण अंकित करते हुए रिजेक्शन रजिस्टर में प्रविष्टि करना, रिजेक्शन स्लिप किसान को जारी करना तथा सैम्प[illegible] रखना।
4. गुणवत्ता विवाद की स्थिति में राजफैड़ द्वारा निर्धारित कमेटी की बैठक बुलाने की कार्यवाही करना/करवाना। 5. बारदाने का रिकॉर्ड रखना एवं आवश्यकतानुसार बारदाने की मांग राजफैड को भिजवाना, निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बारदाना प्राप्त नहीं होने पर पंचनामा कमेटी की बैठक बुलवाकर निर्धारित समयावधि में राजफैड़ को लिखित में अवगत करवाना।
5. बोरियों पर मार्का निर्धारित प्रारूप में लगवाना। बोरियों में जिन्स की मानक भर्ती एवं मशीन से ही सिलाई करवाना।
6. इलेक्ट्रोनिक तराजू का खरीद से पूर्व प्रमाणीकरण करवाना, मॉइश्चर मीटर से जिन्सों की नमी मापना, क्रय जिन्सों की सुरक्षा व्यवस्था करना।
7. हैण्डलिंग एवं परिवहनकर्ता को प्रतिदिन खरीद की गयी जिन्सों को भण्डार गृह में जमा करवानें हेतु सुपुर्द करते हुए उसकी रसीद /बिल्टी प्राप्त करना, गेटपास जारी करना, ई-वे बिल जारी करवाना, एफ.ए.क्यू. बिना रिमार्क की भण्डारण रसीद राजफैड़ में जमा करवाना। प्रतिदिन डे-क्लोज करना।

(द) कम्प्यूटर ऑपरेटर के दायित्व

1. राजफैड़ द्वारा निर्धारित दस्तावेज किसानों से मूल रूप में प्राप्त कर पत्रावली में रखना।
2. नियमानुसार क्रय की गयी जिन्सों का ऑनलाईन विक्रय बिल जारी करना, क्रय रजिस्टर एवं विक्रय बिल पर किसान के हस्ताक्षर करवाना।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

...00AAAAR0270B1ZU

(21)

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX : 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

भवानी सिंह रोड,
...पुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

3. किसान का बायोमैट्रिक सत्यापन करना। किसान का पंजीयन उसी तहसील का होना सुनिश्चित करना जिसमें तुलाई करवायी जा रही है। मोबाईल नम्बर तथा किसान के बैंक खाते का विवरण जनआधार में दर्ज खाते के विवरण से मिलान करना।
4. बटाईदार की स्थिति में इकरारनामा की वैधता जॉच कर पृथक रूप से रखे गये रजिस्टर में प्रविष्टि कर हस्ताक्षर करवाना।
5. किसानों से राजफैड द्वारा दिये गये ऑनलाईन मैसेजों के आधार पर प्राथमिकता से खरीद/बिल जारी करना।

समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्स खरीद कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपसी समन्वय स्थापित करवाते हुए अपना पूर्ण योगदान प्रदान करना सुनिश्चित करेगें।

भवदीया

(सुषमा अरोड़ा)
आई.ए.एस.
प्रबन्ध संचालक

26

प्रतिलिपि :-
1. विशिष्ठ सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर को राजफैड़ के प्रासंगिक पत्र दिनांक 20.10.20 की ओर ध्यानाकर्षित कर अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पाबंद करने का श्रम करें।
4. ज़िला कलक्टर ....।
5. महाप्रबन्धक(वित्त/कृषि/वाणिज्य/मा.स.वि.), राज़फैड़, जयपुर।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड़ ....।
7. शाखा प्रबन्धक, नेफेड, जयपुर।
8. आई.टी. शाखा राजफैड़, जयपुर।
9. प्रचार अधिकारी, सहकारी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

प्रबन्ध संचालक

37